

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 29 जनवरी, 2023


विषय:- आबकारी नीति वर्ष 2023-24 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:1891(कैम्प)/दस-लाईसेंस-367-सुझाव आबकारी नीति/2023-24, दिनांक 09 जनवरी, 2023 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्वहित एवं जनहित के दृष्टिगत वर्ष 2023-24 हेतु आबकारी नीति इस शासनादेश के प्रस्तर-3 के अनुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. वर्ष 2023-24 की आबकारी नीति का उद्देश्य एवं प्रयोजन:

मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त प्रत्येक वर्ष के लिये शासन द्वारा प्रदेश की आबकारी नीति जारी की जाती है। आबकारी नीति का उद्देश्य भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची संख्या-2 की प्रविष्टि संख्या:8 एवं 51 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद-47 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशक तत्वों को दृष्टि में रखते हुये मादक वस्तुओं के निर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, बिक्री एवं कब्जे में रखे जाने संबंधी गतिविधियों को विनियमित एवं नियंत्रित करते हुये प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि करना है। उक्त के अतिरिक्त उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्ता पूर्ण मदिरा उपलब्ध कराये जाने, निवेश को प्रोत्साहन देने, राज्य को आत्मनिर्भर उत्पादक राज्य बनाने, कृषि उत्पादों को नष्ट होने से बचाते हुये किसानों की आय में वृद्धि करने और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करने आदि उद्देश्य भी सम्मिलित हैं। इनमें आबकारी विभाग की भूमिका नियामक एवं विकासकर्ता के रूप में अपेक्षित होती है। उक्त भूमिका के सम्यक निर्वहन के संदर्भ में



अनुषांगिक रूप से निम्नांकित बिन्दु भी आबकारी नीति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहबद्ध होते हैं:-

(क) कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन तथा गन्ना उत्पादकों को उचित गन्ना मूल्य का भुगतान:-

गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार वर्ष 2022 -23 में प्रदेश में लगभग 29.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन किया जा रहा है। प्रदेश के गन्ना किसानों को उनके उत्पाद पर सही मूल्य मिले इसके लिये वैल्यू चेन के प्रत्येक अंश की उत्पादकता बढ़ाया जाना एवं उसके मूल्य संवर्धन हेतु प्रयास किया जाना आवश्यक है। आबकारी विभाग का प्रयास यह है कि चीनी निर्माण की प्रक्रिया में सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त शीरे का सदुपयोग हो तथा इससे उत्पादित अल्कोहल का उपयोग विभिन्न प्रकार के रसायनों, एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, सैनिटाइज़र एवं मदिरा निर्माण के लिये हो सके, जिससे प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिले और इन उत्पादों की उत्पादकता में वृद्धि के साथ कृषि क्षेत्र का विकास हो तथा उससे जुड़े किसानों को समुचित मूल्य प्राप्त हो सके।

(ख) चीनी व अल्कोहल उत्पादक इकाइयों का आधुनिकीकरण एवं नवीनतम तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि जिससे औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन मिल सके:-

वैल्यू चेन के अन्तर्गत कृषि उत्पादों की क्षति रोकने, उत्पादकों को बेहतर मूल्य प्रदान करने तथा उपभोक्ताओं को समुचित गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध कराने पर बल दिया जाता है। गन्ना वर्ष 2022-23 में गन्ना उत्पादन 29.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अनुमानित है तथा खड़ी फसल के आधार पर प्रदेश में लगभग 1170.73 लाख टन गन्ने की पैराई का अनुमान है। चीनी मिलों द्वारा गन्ने से चीनी, बगास, शीरा, प्रेसमड आदि उत्पादित किया जाता है। प्रदेश की चीनी मिलों में सह-उत्पाद के रूप में उत्पादित शीरा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण प्रदेश में अल्कोहल उद्योग के विकास की प्रबल संभावनायें विद्यमान हैं। वर्तमान समय में एथनाल उत्पादन एक अच्छा विकल्प है। पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से भी शीरे की क्षति अथवा इसकी गुणवत्ता में ह्रास को रोकते हुये इसका शीघ्रातिशीघ्र उपयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। चीनी व अल्कोहल उद्योगों के आधुनिकीकरण व नवीनतम तकनीक की सहायता से उत्पादकता में वृद्धि करते हुये औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किया जा सकता है।



(ग) एथनॉल के उत्पादन से भारत सरकार की विदेशी मुद्रा की बचत:-


भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार इंधन में प्रयुक्त होने वाले पेट्रोल में 10 प्रतिशत की सीमा तक एथनॉल को मिश्रित किया जाना अनुमन्य किया गया है। इससे पेट्रोल के आयात पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा की आंशिक बचत होती है। इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश में उत्पादित एथनॉल से प्रदेश में स्थित पेट्रोलियम डिपोज को एथनॉल की आपूर्ति के साथ-साथ अन्य प्रदेशों में स्थित पेट्रोलियम डिपोज में मिश्रित किये जाने हेतु एथनॉल का निर्यात किया जाता है। इस क्रम में विगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 96.55 करोड़ बल्क लीटर एथनॉल की निकासी हुई थी, जिसमें से 43.95 करोड़ बल्क लीटर उत्तर प्रदेश के आयल डिपोज को आपूर्ति की गयी तथा 52.60 करोड़ बल्क लीटर का निर्यात अन्य राज्यों को किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह नवम्बर, 2022 तक कुल 87.57 करोड़ बल्क लीटर एथनॉल की निकासी हुई थी, जिसमें से 43.55 करोड़ बल्क लीटर उत्तर प्रदेश के आयल डिपोज को आपूर्ति की गयी तथा 44.01 करोड़ बल्क लीटर का निर्यात अन्य राज्यों को किया गया। केन्द्र सरकार के एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल(ई.बी.पी.) प्रोग्राम को सफल बनाने हेतु एथनॉल का उत्पादन करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा पावर अल्कोहल(एथनॉल) की उठान, निकासी की प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। इसके लिये उठान हेतु आनलाइन व्यवस्था क्रियान्वित की गयी है।

(घ) मदिरा उद्योग व्यवसाय से हितबद्ध अनुज्ञापियों द्वारा किये गये पूँजी निवेश पर समुचित लाभार्जन एवं उपभोक्ता तृष्टि:-

मदिरा-उद्योग के व्यवसाय को प्रतिस्पर्धात्मक बनाये जाने हेतु आपूर्ति की व्यवस्था में सुधार करने, मानक गुणवत्ता की मदिरा उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने तथा व्यवसाय से जुड़े अनुज्ञापियों को उनके द्वारा किये गये पूँजी-निवेश पर यथोचित लाभ प्रदान करने की दिशा में विभाग का प्रयास है कि वैल्यू चेन में प्रत्येक स्तर पर उत्पादकता बढ़े तथा उपभोक्ताओं को उनकी पसन्द के अनुसार मदिरा आपूर्ति प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर प्राप्त हो। विभाग का उद्देश्य यह भी है कि मदिरापान को जिम्मेदार एवं सुरक्षित सीमा में रखा जाय। अल्कोहल वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर, 2022 तक गत वर्ष की समान अवधि के सापेक्ष अल्कोहल के उत्पादन में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।

(ङ.) प्रक्रियाओं का सरलीकरण:-

विभाग का यह प्रयास है कि वैल्यू चेन में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने, विदेशी एवं देशी निवेश को आकर्षित करने, सेवाओं को सुगम बनाने, अनुज्ञापनों के आवंटन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता रखने, मदिरा उद्योग, व्यवसाय से हितबद्ध अनुज्ञापियों पर नियंत्रण रखने,



उपभोक्ताओं को उनकी रुचियों के अनुसार जानकारी प्रदान करने तथा जिम्मेदार एवं सुरक्षित सीमा में मदिरा सेवन करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाये। इससे एक ओर जहाँ प्रक्रियाओं का सरलीकरण होगा वहीं दूसरी ओर समस्त स्टेक होल्डर्स को प्रत्येक स्तर की जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुलभ हो सकेगी। इससे ईज आफ इइंग बिजनेस एवं गुड गवर्नेन्स को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2022-23 में इसे बढ़ावा दिया गया है तथा ट्रेक ऐण्ड ट्रेस प्रणाली का उपयोग कर मदिरा के संचरण पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। वर्ष 2023-24 में इसमें और सुधार किया जाना प्रस्तावित है तथा विभाग की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है।

3. वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी नीति:-

3.1 देशी मदिरा

3.1.1 (क) देशी मदिरा की श्रेणियां तथा गुणवत्ता:-

वर्ष 2022-23 में देशी मदिरा की तीव्रता के आधार पर प्रचलित श्रेणियों के स्थान पर वर्ष 2023-24 में देशी मदिरा की निम्नांकित श्रेणियां रखी जायेंगी:-

(1) 36 प्रतिशत वी./वी. (सादा/सुवासित/मसाला) 200 एम.एल. की धारिता की कांच और पेट की बोतलों तथा टेट्रा पैक में।

(2) 25 प्रतिशत वी./वी. (सादा/सुवासित/मसाला) 200 एम.एल. की धारिता की कांच और पेट की बोतलों तथा टेट्रा पैक में।

वर्ष 2022-23 की भांति वर्ष 2023-24 हेतु प्रदेश में केवल एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) से निर्मित देशी मदिरा का विक्रय किया जाएगा। पेट बोतलों के लिये मिनरल वाटर की बोतलों में प्रयुक्त होने वाले कैप्स के समान अच्छी गुणवत्ता के प्लास्टिक कैप्स भी अनुमन्य होंगे। देशी मदिरा की बोतलों पर लगाये जाने वाले समस्त प्रकार के कैप्स पर श्रिक कैप का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) वर्ष 2022-23 की भांति 42.8 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता में यू.पी. मेड लिंकर (यू.पी.एम.एल.) की व्यवस्था वर्ष 2023-24 में भी अनुमन्य होगी। यू.पी.एम.एल. की निम्नांकित श्रेणियां निर्धारित की जाती हैं:-

1- यू.पी. मेड लिंकर (यू.पी.एम.एल.)(सादा/सुवासित /मसाला)

यू.पी. मेड लिंकर (यू.पी.एम.एल.) की आपूर्ति केवल 200 एम.एल. और 100 एम.एल. की कांच की बोतलों में अनुमन्य होगी।


(ग) देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. की उपरोक्त श्रेणियों की न्यूनतम विशिष्टियां निम्नवत होंगी:-

क्र.सं.	देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. की श्रेणी	न्यूनतम विशिष्टियां
1	25 प्रतिशत वी./वी. (सादा)	सादा (प्लेन)
2	25 प्रतिशत वी./वी. (सुवासित)	फूड कलर युक्त तथा सुवासित
3	25 प्रतिशत वी./वी. (मसाला)	कैरामल युक्त तथा सुवासित
4	36 प्रतिशत वी./वी. (सादा)	सादा (प्लेन)
5	36 प्रतिशत वी./वी. (सुवासित)	फूड कलर युक्त तथा सुवासित
6	36 प्रतिशत वी./वी. (मसाला)	कैरामल युक्त तथा सुवासित
7	यू.पी. मेड लिक्वर (यू.पी.एम.एल.) (सादा)	सादा (प्लेन)
8	यू.पी. मेड लिक्वर(यू.पी.एम.एल.) (सुवासित)	फूड कलर युक्त तथा सुवासित
9	यू.पी. मेड लिक्वर (यू.पी.एम.एल.) (मसाला)	कैरामल युक्त तथा सुवासित

नोट:-25 प्रतिशत वी./वी., 36 प्रतिशत वी./वी. एवं यू.पी.एम.एल.(42.8 प्रतिशत वी./वी.) तीव्रता के कैप्स/लेबिलों के बार्डर के रंग तीनों श्रेणियों में वर्ष 2022-23 की भाँति यथावत रखे जायेंगे। कैप्स/लेबिलों के बार्डर के रंग में परिवर्तन का अधिकार आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधायित किया जाता है।

3.1.2 देशी मदिरा दुकानों के वार्षिक एम.जी.क्यू.(न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/Minimum Guaranteed Quantity) का निर्धारण:-

- वर्ष 2023-24 हेतु वर्ष 2022-23 के व्यवस्थित वार्षिक एम.जी.क्यू. पर 10% प्रतिशत की वृद्धि कर देशी मदिरा दुकानों का एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जाएगा। वर्ष 2022-23 हेतु व्यवस्थित वार्षिक एम.जी.क्यू. 58.32 करोड़ बल्क लीटर पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर वर्ष 2023-24 हेतु प्रदेश का प्रस्तावित न्यूनतम एम.जी.क्यू. 64.15 करोड़ बल्क लीटर 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के संदर्भ में आगणित होता है।
- उपरोक्तानुसार आगणित दुकानवार वार्षिक एम.जी.क्यू. के 12 से पूर्णतः विभाजित न हो सकने की स्थिति में इसे अगली संख्या तक, जो 12 से विभाज्य हो, बढ़ा कर वर्ष 2023-24 हेतु अंतिमीकृत एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जाएगा।
- नवसृजित देशी मदिरा दुकानों का एम.जी.क्यू. प्रस्तर-3.9.2.1 में प्राविधानित न्यूनतम एम.जी.क्यू. से कम नहीं होगा तथा इस संबंध में प्रचलित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा ताकि किसी अन्य दुकान का क्षेत्राधिकार प्रभावित न हो एवं निर्धारित एम.जी.क्यू. युक्तिसंगत हो। यह एम.जी.क्यू.36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के संदर्भ में होगा। जिले में नवसृजित



दुकानों का एम.जी.क्यू. प्रस्तर-3.1.2(i) एवं 3.1.2(ii) द्वारा निर्धारित एम.जी.क्यू. के अतिरिक्त होगा।

3.1.3 देशी मदिरा दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस:-

वर्ष 2023-24 हेतु बेसिक लाइसेंस फीस की व्यवस्था निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

1. मासिक एम.जी.क्यू. से अतिरिक्त देशी मदिरा के उठान पर बेसिक लाइसेंस फीस न लिये जाने की व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।
2. देशी मदिरा दुकान की वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस वर्ष 2022-23 की बेसिक लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये अगले रूपया 1,000/- के गुणक में निर्धारित की जाएगी।
3. नवसृजित देशी मदिरा दुकानों एवं मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली दुकानों अथवा ई-टेण्डर से व्यवस्थित होने वाली दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस रूपया 36/- प्रति ब.ली. वार्षिक एम.जी. क्यू. के आधार पर अगले रूपया 1,000/- के गुणक में निर्धारित की जाएगी।

3.1.4 देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. की लाइसेंस फीस(प्रतिफल फीस) प्रस्तर-3.1.7 के अनुसार होगी।

दुकान की मासिक लाइसेंस फीस जो मासिक एम.जी.क्यू. में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य होगी, प्रतिमाह अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु उपरोक्तानुसार आगणित मासिक एम.जी.क्यू. की निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य मासिक लाइसेंस फीस के समायोजन का अनुज्ञापी हकदार होगा। मासिक लाइसेंस फीस के उपरोक्तानुसार भुगतान, समायोजन में विफल रहने पर दुकान की प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी तथा दुकान का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जायेगा। इस हेतु अन्य तीव्रताओं में उठान को 36 प्रतिशत तीव्रता में परिवर्तित कर कुल उठान का आगणन किया जायेगा।

3.1.5 बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस की देयतायें:-

एम.जी.क्यू. से अधिक देशी मदिरा की निकासी उठाने पर अतिरिक्त निकासी पर बेसिक लाइसेंस फीस अतिरिक्त रूप से देय नहीं होगी, परन्तु किसी माह में एम.जी.क्यू. से अधिक उठायी गयी देशी मदिरा पर उदग्रहणीय प्रतिफल शुल्क एवं अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का समायोजन अगले महीनों हेतु निर्धारित मासिक लाइसेंस फीस के विरुद्ध नहीं होगा।

3.1.6 देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. पर अतिरिक्त प्रतिफल फीस लिया जाना:-

वर्ष 2022-23 में देशी मदिरा के ऑप्टिमम रिटेल प्राइस को बढ़ाकर देशी मदिरा की एम.आर.पी. रु.5 के अगले गुणांक में निर्धारित की गयी है एवं अन्तर की धनराशि को

अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में आसवनी स्तर पर ही वसूल किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 के लिये यू.पी.एम.एल. एवं देशी मदिरा की एम.आर.पी. रूपया 2/- के अगले गुणक में रखी जाती है। अनुज्ञापी द्वारा मासिक एम.जी.क्यू. का पूर्ण रूप से उठान न किये जाने की स्थिति में अनुज्ञापी को, न उठाये गये एम.जी.क्यू. की मात्रा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क जो 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के 200 एम.एल. की बोतलों के उच्चतम स्लैब की न्यूनतम ई.डी.पी. रु.6.51 पर आगणित प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

3.1.7 देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. का मूल्य निर्धारण:-

(अ) शीरा आधारित ई.एन.ए. से निर्मित देशी मदिरा की विभिन्न श्रेणियों का मूल्य निर्धारण निम्नांकित सूत्रों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

देशी की श्रेणी	ई.डी.पी. प्रति 200 एम.एल. (कांच, पेट, देट्रा) (रु.)	प्रतिफल फीस (रु.)	थोक विक्रेता का मार्जिन (रु.)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (रु.)	आगणित फुटकर विक्रय मूल्य (2+3+4+5) (रु.)	अंतिमीकृत अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (रुपया 2/-के अगले गुणक में(एम.आर.पी.) (रु.)	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (7-6) (रु.)	कुल प्राप्त प्रतिफल शुल्क (3+8) (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 प्रतिशत वी./वी (सादा)	रु. 05.45 तक	रु.36.00+ ई.डी.पी. का शून्य प्रतिशत	रु.0.70	रु.07.84	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर
25 प्रतिशत वी./वी (सुवासित)	रु.05.46से रु.05.75तक	रु.36.00+ ई.डी.पी. का 15 प्रतिशत	रु.0.70	रु.07.84	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर
25 प्रतिशत वी./वी (मसाला)	रु.05.76 से रु.06.05तक	रु.36.00+ ई.डी.पी. का 30 प्रतिशत	रु.0.70	रु.07.84	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर
36 प्रतिशत वी./वी (सादा)	रु. 06.10 तक	रु.47.00+ ई.डी.पी. का शून्य प्रतिशत	रु.0.83	रु.11.32	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर
36 प्रतिशत वी./वी (सुवासित)	रु.06.11 से रु.06.50तक	रु.47.00+ ई.डी.पी. का 15 प्रतिशत	रु.0.83	रु.11.32	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर
36 प्रतिशत वी./वी (मसाला)	रु.06.51 से रु.06.90तक	रु.47.00+ ई.डी.पी. का 30 प्रतिशत	रु.0.83	रु.11.32	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर

उदाहरण (25 प्रतिशत वी./वी)

देशी मदिरा की श्रेणी	ई.डी.पी. प्रति 200 एम.एल. (कोच, पेट, ट्रेडा) (रु.)	प्रतिफल फीस (रु.) रु.36.00+ ई.डी.पी. का शून्य प्रतिशत	थोक विक्रेता का मार्जिन (रु.)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (रु.)	आगणित फुटकर विक्रय मूल्य (2+3+4+5) (रु.)	अंतिमीकृत अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (रुपया 2/-के अगले गुणक में(एम.आर.पी.) (रु.)	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (7-6) (रु.)	कुल प्राप्त प्रतिफल शुल्क (3+8) (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 प्रतिशत वी./वी (सादा)	5.45	36.00	0.70	7.84	49.99	50.00	0.01	36.01
देशी मदिरा की श्रेणी	ई.डी.पी. प्रति 200 एम.एल. (कोच, पेट, ट्रेडा) (रु.)	प्रतिफल फीस (रु.) रु.36.00+ ई.डी.पी. का 30 प्रतिशत	थोक विक्रेता का मार्जिन (रु.)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (रु.)	आगणित फुटकर विक्रय मूल्य (2+3+4+5) (रु.)	अंतिमीकृत अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (रुपया 2/-के अगले गुणक में(एम.आर.पी.) (रु.)	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (7-6) (रु.)	कुल प्राप्त प्रतिफल शुल्क (3+8) (रु.)
25 प्रतिशत वी./वी (मसाला)	6.05	37.82	0.70	7.84	52.41	54.00	1.59	39.41

उदाहरण (36 प्रतिशत वी./वी)

देशी मदिरा की श्रेणी	ई.डी.पी. प्रति 200 एम.एल. (कोच, पेट, ट्रेडा) (रु.)	प्रतिफल फीस (रु.) रु.47.00+ ई.डी.पी. का शून्य प्रतिशत	थोक विक्रेता का मार्जिन (रु.)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (रु.)	आगणित फुटकर विक्रय मूल्य (2+3+4+5) (रु.)	अंतिमीकृत अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (रुपया 2/-के अगले गुणक में(एम.आर.पी.) (रु.)	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (7-6) (रु.)	कुल प्राप्त प्रतिफल शुल्क (3+8) (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36 प्रतिशत वी./वी (सादा)	6.10	47.00	0.83	11.32	65.25	66.00	0.75	47.75
देशी मदिरा की श्रेणी	ई.डी.पी. प्रति 200 एम.एल. (कोच, पेट, ट्रेडा) (रु.)	प्रतिफल फीस (रु.) रु.47.00+ ई.डी.पी. का 30 प्रतिशत	थोक विक्रेता का मार्जिन (रु.)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (रु.)	आगणित फुटकर विक्रय मूल्य (2+3+4+5) (रु.)	अंतिमीकृत अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (रुपया 2/-के अगले गुणक में(एम.आर.पी.) (रु.)	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (7-6) (रु.)	कुल प्राप्त प्रतिफल शुल्क (3+8) (रु.)
36 प्रतिशत वी./वी (मसाला)	6.90	49.07	0.83	11.32	68.12	70.00	1.88	50.95

उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि ई.डी.पी. प्रस्तुत करने के पश्चात एम.आर.पी. का आगणन पूर्णतया सूत्र आधारित स्वतः होगा और इसमें किसी स्तर पर मानव हस्तक्षेप नहीं होगा।

नोट:- (1) देशी मदिरा /यू.पी.एम.एल. की ई.डी.पी. में बार-कोड, क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन में रु.0.15 प्रति यूनिट सम्मिलित होगी। आई.ई.एस.सी.एम.एस. लागू होने के उपरांत उपरोक्त रु.0.15 में से रु.0.09 जमा करना होगा।

(2) सुवासित और मसाला श्रेणी की देशी मदिरा की ई.डी.पी., उपरोक्त तालिका की सादा श्रेणी में भी प्रस्तुत की जा सकेगी।

(3) इसी प्रकार मसाला श्रेणी की देशी मदिरा की ई.डी.पी., उपरोक्त तालिका की सुवासित श्रेणी में भी प्रस्तुत की जा सकेगी।

(4) प्रत्येक आसवक को अपने ब्राण्ड के लेबिल पर श्रेणी यथा सादा, सुवासित, मसाला लिखना अनिवार्य होगा।

(ब) यू.पी.एम.एल.(ग्रेन आधारित ई.एन.ए. से निर्मित 42.8 प्रतिशत वी/वी तीव्रता) की 200 एम.एल. धारिता के किसी ब्राण्ड हेतु प्रस्तुत ई.डी.पी. पर प्रतिफल शुल्क एवं थोक मार्जिन तथा रिटेल मार्जिन का आगणन करते हुये अंतिमीकृत अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्यों को निम्नांकित सूत्रों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा:-

यू.पी.एम.एल.(कॉच की बोतल में)

यू.पी.एम.एल. की श्रेणी	ई.डी.पी. प्रति 200 एम.एल. (ग्लास बोतल) (रु.)	प्रतिफल (रु.)	फीस	थोक विक्रेता का मार्जिन (रु.)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (रु.)	आगणित फुटकर विक्रय मूल्य (2+3+4+5) (रु.)	अंतिमीकृत अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (रुपया 2/-के गुणक में(एम.आर.पी.) (रु.)	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रु.)	कुल प्राप्त प्रतिफल शुल्क (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
सादा	रु. 11.50 तक	रु.56.75+ ई.डी.पी. का 10 प्रतिशत	1.05	रु.13.57	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर
सुवासित	रु.11.51से रु.11.75तक	रु.56.75+ ई.डी.पी. का 30 प्रतिशत	1.05	रु.13.57	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर
मसाला	रु.11.76 से रु.12.00तक	रु.56.75+ ई.डी.पी. का 50 प्रतिशत	1.05	रु.13.57	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर	आगणन के आधार पर

उदाहरण (यू.पी.एम.एल. कॉच की बोतल)

यू.पी.एम.एल. की श्रेणी	ई.डी.पी. प्रति 200 एम.एल. (कॉच बोतल)	प्रतिफल (रु.)	फीस	थोक विक्रेता का मार्जिन	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (रु.)	आगणित फुटकर विक्रय मूल्य	अंतिमीकृत अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क	कुल प्राप्त प्रतिफल शुल्क
		रु.56.75+							

	(रु.)	ई.डी.पी. का 10 प्रतिशत	(रु.)		(2+3+4+5) (रु.)	मूल्य (रुपया 2/-के अगले गुणक में(एम.आर.पी.) (रु.)	(7-6) (रु.)	(3+8) (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सादा	11.50	57.90	1.05	13.57	84.02	86.00	1.98	59.88
यू.पी.एम.एल की श्रेणी	ई.डी.पी. प्रति 200 एम.एल. (कोच बोतल) (रु.)	प्रतिफल फीस (रु.) रु.56.75+ ई.डी.पी. का 50 प्रतिशत	थोक विक्रेता का मार्जिन (रु.)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (रु.)	आगणित फुटकर विक्रय मूल्य (2+3+4+5) (रु.)	अंतिमीकृत अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (रुपया 2/-के अगले गुणक में(एम.आर.पी.) (रु.)	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (7-6) (रु.)	कुल प्राप्त प्रतिफल शुल्क. (3+8) (रु.)
मसाला	12.00	62.67	1.05	13.57	89.37	90.00	0.63	63.38

उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि ई.डी.पी. प्रस्तुत करने के पश्चात एम.आर.पी. का आगणन पूर्णतया सूत्र आधारित स्वतः होगा और इसमें किसी स्तर पर मानव हस्तक्षेप नहीं होगा।

नोट:- (1) यू.पी.एम.एल. की 100 एम.एल. धारिता की बोतलों की एम.आर.पी. का निर्धारण 200 एम.एल. धारिता हेतु प्रस्तुत की गयी ई.डी.पी. के अनुसार अनुपातिक रूप से किया जायेगा।

(2) सुवासित और मसाला श्रेणी की यू.पी.एम.एल. की ई.डी.पी., उपरोक्त तालिका की सादा श्रेणी में भी प्रस्तुत की जा सकेगी।

(3) इसी प्रकार मसाला श्रेणी की यू.पी.एम.एल. की ई.डी.पी., उपरोक्त तालिका की सुवासित श्रेणी में भी प्रस्तुत की जा सकेगी।

(4) प्रत्येक आसवक को अपने ब्राण्ड के लेबिल पर श्रेणी यथा सादा, सुवासित, मसाला लिखना अनिवार्य होगा।

(5) यू.पी.एम.एल. की ई.डी.पी. में बार-कोड, क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन में रु.0.15 प्रति यूनिट सम्मिलित होगी। आई.ई.एस.सी.एम.एस. लागू होने के उपरांत उपरोक्त रु.0.15 में से रु.0.09 जमा करना होगा।

3.1.8 वर्ष 2022-23 की आबकारी नीति में आसवनियों से देशी मदिरा की आपूर्ति के संबंध में निम्न प्राविधान किया गया था:-

"प्रत्येक देशी मदिरा उत्पादक आसवनी यह सुनिश्चित करेगी कि देशी मदिरा की आपूर्ति इण्डेण्ट प्राप्ति से 03 दिन के भीतर हो जाय। विलम्ब की दशा में इण्डेण्ट में वांछित निकासी में सन्निहित राजस्व के 0.5 प्रतिशत की दर से आसवनी पर प्रतिदिन जुर्माना आरोपित होगा। यह जुर्माना सहायक आबकारी आयुक्त संबंधित आसवनी द्वारा प्रत्येक सप्ताह

आगणित कर के आसवनी के अग्रिम खाते से समायोजित कर लिया जायेगा जिसे लाल स्याही से अंकित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह होगा कि गत तीन वर्षों में किसी आसवनी द्वारा संगत माह में किये गये देशी मदिरा के अधिकतम उत्पादन पर 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये वर्ष 2020-21 के संगत माह की अधिकतम उत्पादन क्षमता निर्धारित की जायेगी। परन्तु यह आसवनी की स्वीकृत वार्षिक पेय क्षमता के मासिक औसत से अधिक नहीं होगी। यदि आसवनी द्वारा देशी एवं विदेशी मदिरा दोनों का उत्पादन किया जा रहा है तो गत वर्ष का विदेशी मदिरा उत्पादन स्वीकृत पेय क्षमता से घटाया जायेगा। अधिकतम मासिक उत्पादन क्षमता से कम उत्पादन, निकासी करने वाली आसवनी, जहाँ तीन दिवस से अधिक अवधि के इण्डेण्ट लम्बित होंगे, के संबंध में माह के अंत में अधिकतम उत्पादन क्षमता एवं वास्तविक रूप से किये गये उत्पादन का अंतर निकाला जायेगा। इस अंतर की सीमा तक के 03 दिवस से अधिक अवधि के लम्बित सबसे पुराने इण्डेण्टों से आरम्भ करते हुये ऐसे समस्त इण्डेण्टों की आपूर्ति इस प्रस्तर के अनुसार विलम्बित मानी जायेगी एवं तदनुसार जुर्माना आरोपित किया जायेगा। ऐसी आसवनियाँ जहाँ तीन दिवस से अधिक अवधि के लम्बित इण्डेण्टों में सन्निहित मदिरा की मात्रा आसवनी की अधिकतम औसत उत्पादन क्षमता से कम होगी, वहाँ पर उपरोक्त प्रस्तर के प्राविधानानुसार जुर्माना आरोपित किया जायेगा।

उदाहरण के लिये किसी आसवनी द्वारा यदि गत तीन वर्ष में माह अप्रैल में क्रमशः 90 ब.ली., 100 ब.ली. एवं 95 ब.ली. देशी मदिरा का उत्पादन किया गया है तो गत तीन वर्षों में माह अप्रैल का देशी मदिरा का अधिकतम उत्पादन 100 ब.ली. को 15 प्रतिशत बढ़ाने पर संदर्भगत वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल की देशी मदिरा की अधिकतम उत्पादन क्षमता 115 ब.ली. निर्धारित होगी। यदि आसवनी द्वारा माह अप्रैल में इससे अधिक उत्पादन कर निकासी दी गयी है तो कोई पेनाल्टी देय नहीं होगी।

यदि माह अप्रैल में इससे कम उत्पादन हुआ, उदाहरण के लिये केवल 100 ब.ली. का उत्पादन कर निकासी दी गयी है तो निर्धारित अधिकतम उत्पादन क्षमता के सापेक्ष किये गये कम उत्पादन "15 ब.ली." के समतुल्य सबसे पुराने लम्बित इण्डेण्ट पर पेनाल्टी देय होगी। ऐसे चिन्हित इण्डेण्ट पर इण्डेण्टवार, इण्डेण्ट की तिथि से 03 दिवस के अतिरिक्त मासान्त तक हुये विलम्ब के लिये इस प्रस्तर में निर्धारित पेनाल्टी देय होगी। प्रत्येक माह के लिये उपरोक्तानुसार पेनाल्टी का निर्धारण किया जायेगा।

यदि आसवनी की स्वीकृत वार्षिक पेय क्षमता 1500 ब.ली. है एवं उक्त आसवनी द्वारा गत वर्ष 240 ब.ली. का विदेशी मदिरा का उत्पादन किया गया है तो मासिक औसत

उत्पादन क्षमता का आगणन $\{(1500-240)/12 = 105 \text{ ब.ली.}\}$ होगी। उक्त स्थिति में 105 ब.ली. के अतिरिक्त निकासी दिये जाने पर कोई पेनाल्टी देय नहीं होगी।

प्रत्येक आसवनी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इण्डेण्ट प्राप्ति के 02 कार्य दिवसों के अन्दर इण्डेण्ट में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क को राजकोष में जमा कर दिया जाय अन्यथा की दशा में रु.5,000/- प्रतिदिन की दर से आसवनी पर जुर्माना आरोपित किया जायेगा। यह जुर्माना सहायक आबकारी आयुक्त सम्बन्धित आसवनी द्वारा प्रत्येक सप्ताह आगणित करके आसवनी के अग्रिम खाते से समायोजित कर लिया जायेगा, जिसे लाल स्याही से अंकित किया जायेगा।"

थोक अनुज्ञापनों से प्राप्त इंडेण्ट के सापेक्ष देशी मदिरा की आपूर्ति की समय सीमा एवं विलम्ब की दशा में जुर्माना के संबंध में वर्ष 2022-23 के उपरोक्त प्राविधान को वर्ष 2023-24 में यथावत रखा जाएगा। स्वीकृत पेय क्षमता का उपभोग कर लिये जाने के पश्चात उपरोक्त प्राविधान लागू नहीं होंगे।

3.1.9 देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु निर्धारित धारितायें:-

वर्ष 2023-24 में देशी मदिरा की आपूर्ति 36 प्रतिशत तीव्रता (सादा/सुवासित/मसाला) एवं 25 प्रतिशत तीव्रता (सादा/सुवासित/मसाला) में 200 एम.एल. की धारिता वाली पेट बोतलों, असेप्टिक ब्रिक पैक (टेट्रापैक) अथवा कांच की बोतलों में किया जाएगा। यू.पी. मेड लिकर (यू.पी.एम.एल.) (सादा/सुवासित/मसाला) 42.8 प्रतिशत वी./वी. की 200 एम.एल. तथा 100 एम.एल. की धारिता में केवल कांच की बोतलों में आपूर्ति करायी जाएगी। यू.पी. मेड लिकर (यू.पी.एम.एल.) की कांच की बोतलों में आपूर्ति में कठिनाई आने पर असेप्टिक ब्रिक पैक (टेट्रापैक) में आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने की अनुमति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव आबकारी विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी।

3.1.10 देशी मदिरा की निर्यात, आयात पास फीस:-

वर्ष 2022-23 की भांति वर्ष 2023-24 में देशी मदिरा की निर्यात पास फीस रु.10/- प्रति ए.एल. तथा आयात फीस रु.1/- प्रति ए.एल. यथावत रखी जाती है।

3.1.11 आयातित देशी मदिरा की आपूर्ति:-

देशी मदिरा की आपूर्ति में आने वाली कठिनाइयों के निवारण हेतु विशिष्ट परिस्थितियों में प्रदेश के बाहर से आयातित देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु वर्ष 2019-20 में प्राविधानित व्यवस्था, वर्ष 2023-24 में यथावत रखी जाती है। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत बी.डब्ल्यू.सी.एल.-1 अनुज्ञापनों की स्वीकृति आबकारी आयुक्त के स्तर से प्रदान की जायेगी।

3.2 विदेशी मदिरा

3.2.1 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस:-

विदेशी मदिरा दुकानों की वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2022-23 की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये निर्धारित की जाती है। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रूपया 5000/- के गुणक में नहीं पायी जाती है तो उसे बढ़ाकर रूपया 5000/- के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित किया जायेगा।

3.2.2 विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण:-

वर्ष 2023-24 हेतु भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम.एफ.एल.) की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

क्र.सं.	ई.डी.पी. की श्रेणी प्रति बोतल (750 एम.एल.) (E) (रु.)	श्रेणी का नाम	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (750 एम.एल.) (D) (रु.)	थोक विक्रेता का मार्जिन (WM) (रु.)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (RM) (रु.)	एम.आर.पी. का सूत्र (MRP) (रु.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	0 से 70 तक	इकोनोमी	रु.242+ई.डी.पी. का 75%	रु.3.75+ई.डी.पी. का 3.00%	रु.60+ई.डी.पी. का 20%	कालम 2+4+5+6 का योग
2.	70 से अधिक, 125 तक	मीडियम	रु.264+ई.डी.पी. का 82%	रु.4.00+ई.डी.पी. का 2.80%	रु.60+ई.डी.पी. का 20%	कालम 2+4+5+6 का योग
3.	125 से अधिक, 250 तक	रेगुलर	रु.272+ई.डी.पी. का 83%	रु.4.00+ई.डी.पी. का 2.80%	रु.75+ई.डी.पी. का 10%	कालम 2+4+5+6 का योग
4.	250 से अधिक, 400 तक	प्रीमियम	रु.279+ई.डी.पी. का 85%	रु.4.75+ई.डी.पी. का 2.50%	रु.75+ई.डी.पी. का 10%	कालम 2+4+5+6 का योग
5.	400 से अधिक, 600 तक	सुपर प्रीमियम	रु.294+ई.डी.पी. का 90%	रु.4.75+ई.डी.पी. का 2.50%	रु.85+ई.डी.पी. का 7.5%	कालम 2+4+5+6 का योग
6.	600 से अधिक	स्कॉच	रु.304+ई.डी.पी. का 95%	रु.4.75+ई.डी.पी. का 2.50%	रु.85+ई.डी.पी. का 7.5%	कालम 2+4+5+6 का योग

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2023-24 हेतु निम्न व्यवस्थाएं निर्धारित जाती हैं:-

- वर्ष 2023-24 हेतु कांच और पेट बोतलों, एवं असेप्टिक ब्रिक पैक (टेट्रापैक) में विदेशी मदिरा की आपूर्ति अनुमन्य होगी।
- विदेशी मदिरा ब्राण्ड के मूल्य निर्धारण हेतु आसवनी/बाण्डधारक इकाई को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित ई.डी.पी. कास्ट एकाउटेन्ट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित है, जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड,

राजस्थान, मध्य प्रदेश, एवं बिहार (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित संबंधित ब्राण्ड या उसके सामानान्तर ब्राण्ड के लिये घोषित न्यूनतम ई.डी.पी. के समतुल्य अथवा उससे कम है। उल्लिखित निकटवर्ती राज्यों में यदि किसी ब्राण्ड की ई.डी.पी. वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित नहीं करायी गयी है तब उत्तर प्रदेश राज्य में गत वर्ष की अनुमोदित ई.डी.पी. एवं उसके द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु प्रस्तावित ई.डी.पी. का संज्ञान लेकर आबकारी आयुक्त द्वारा एम.आर.पी. का निर्धारण किया जायेगा, परन्तु उत्तर प्रदेश में एम.आर. पी. का अनुमोदन हो जाने के उपरांत अन्य समीपवर्ती राज्यों में उत्तर प्रदेश से कम ई.डी.पी. नहीं प्रस्तुत की जायेगी। ई.डी.पी. प्रस्तुत करते समय इसके समस्त कम्पोनेंट का विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा और समीपवर्ती राज्यों में अनुमोदित एम.आर.पी. से संबंधित समस्त विवरणों(कास्ट कार्ड) की तालिका भी प्रस्तुत की जायेगी।


विभिन्न प्रदेशों में ई.डी.पी. में सम्मिलित किये जाने वाले मर्दों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में लाइसेंस फीस, बॉटलिंग फीस, आयात फीस, ब्राण्ड पंजीकरण फीस, लेबुल अनुमोदन फीस, शीरा पर प्रशासनिक फीस, ई.एन.ए. पर वैट, परमिट फीस, स्पेशल फीस आदि भिन्न है। अतः ई.डी.पी. का मिलान करने हेतु इनका संज्ञान लिया जायेगा। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि जांच में अभिकथन असत्य पाये जाने पर रूपया एक लाख तक का अर्थ दण्ड आरोपित करते हुये ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा।

3. 180 एम.एल. धारिता हेतु दी गयी ई.डी.पी. के आधार पर अन्य धारिताओं की ई.डी.पी. का निर्धारण किया जाएगा एवं ई.डी.पी. का आगणन निम्नानुसार होगा:-

EDP(180)= आसवक द्वारा घोषित
EDP of SKU less than 180ML
$EDP(\text{Size of SKU}) = [EDP(180)/180] * (\text{Size of SKU})$
EDP of SKU less than or equal to 375ML but greater than 180ML
$EDP(\text{Size of SKU}) = [EDP(180)/180] * (\text{Size of SKU}) - 2$
EDP of SKU greater than 375ML
$EDP(\text{Size of SKU}) = [EDP(180)/180] * (\text{Size of SKU}) - 7$

90 एम.एल. व 60 एम.एल. के एम.आर.पी. निर्धारण हेतु ई.डी.पी. का आगणन 180 एम.एल. की ई.डी.पी. के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जाएगा।

4. स्पेशल फीस एवं ट्रेक ऐण्ड ट्रेस क्रियान्वयन हेतु रु.0.35 प्रत्येक बोतल की ई.डी.पी. में सम्मिलित होंगे।



5. विदेशी मदिरा के अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य को राउण्ड ऑफ करते हुये, 10 के गुणांक के अगले स्तर पर निर्धारित कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में लिया जायेगा।

6. विदेशी मदिरा की ई.डी.पी. में बार-कोड, क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन में रु.0.15 प्रति यूनिट सम्मिलित होगी। आई.ई.एस.सी.एम.एस. लागू होने के उपरांत उपरोक्त रु.0.15 में से रु.0.09 जमा करना होगा।

3.2.3 विदेशी मदिरा का ई.एन.ए. से निर्माण:-

विदेशी मदिरा की सभी श्रेणियों का निर्माण ई.एन.ए. से करने की व्यवस्था प्रभावी है, जिसे वर्ष 2023-24 में भी यथावत रखा जाता है। रम को छोड़कर अन्य प्रकार की भारत निर्मित विदेशी मदिरा में शीरा आधारित ई.एन.ए. का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

3.2.4 प्रतिरक्षा सेनाओं एवं अन्य केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक सुरक्षा बलों को विदेशी मदिरा की आपूर्ति:-

वर्ष 2022-23 में निम्न प्राविधान है:-

1. लाइसेंस फीस

क्र.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	लाइसेंस फीस की दर
1	एफ.एल.-9 एवं एफ.एल.-9ए	1. विदेशी मदिरा- रुपया 30.00/- प्रति बोतल (750 एम.एल.) 2. बीयर - रुपया 07.00 /- प्रति बोतल (650 एम.एल.)
2	एफ.एल.-2ए	रुपया 10,000/- प्रति वर्ष प्रति अनुज्ञापन

2. वर्ष 2022-23 में एफ.एल.-9 एवं एफ.एल.-9ए के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस सिविल हेतु अनुमन्य प्रतिफल फीस का 60 प्रतिशत निर्धारित है।

3. एफ.एल.-9ए अनुज्ञापनों के अन्तर्गत रियायती रम की आपूर्ति इकोनोमी श्रेणी की विदेशी मदिरा की ई.डी.पी. रुपये 0 से 70 तक के अनुसार अनुमन्य है।

4. सेना के अधिकारियों को एफ.एल.-9 अनुज्ञापनों के माध्यम से बीयर की भांति एल.ए.बी. की बिक्री अनुमन्य है।

5. केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक सुरक्षा बलों को एफ.एल.-9ए अनुज्ञापन अनुमन्य थे। इसके अतिरिक्त उन्हें एफ.एल.-9 का अनुज्ञापन भी अनुमन्य है।

उपरोक्त प्राविधान वर्ष 2023-24 में भी यथावत रखे जाते हैं।

3.2.5 एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए (आसवनी स्तर से विदेशी मदिरा, बीयर की आपूर्ति के थोक अनुज्ञापन) की लाइसेंस फीस:-

वर्ष 2023-24 हेतु रु.10,00,000/- एवं प्रतिभूति धनराशि रु.100,000/- प्रति अनुज्ञापन रखा जाता है। परन्तु ऐसे एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए अनुज्ञापनों, जिनका नवीनीकरण वर्ष 2023-24 अथवा अग्रेतर वर्षों के लिये पूर्व में ही हो चुका है, पर उक्त प्राविधान लागू नहीं किया जाएगा।

3.2.6 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम:-

(1) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम के अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी) का व्यवस्थापन:-

वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-23 की भौति ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के नये बंधित गोदामों का व्यवस्थापन, उत्तर प्रदेश आबकारी(विदेशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2011 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा।

(2) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी) का नवीनीकरण:-

वर्ष 2022-23 में स्वीकृत बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी अनुज्ञापनों का, संबंधित अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2023-24 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों, प्रतिबंधों से सहमति की दशा में अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2023-24 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकेगा। नवीनीकरण हेतु वर्ष 2022-23 में निर्धारित की गयी व्यवस्था को वर्ष 2023-24 में यथावत रखा जाता है।

3.2.7 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी) हेतु प्रोसेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूति एवं अन्य व्यवस्थार्य:-

(1) अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस वर्ष 2023-24 हेतु रूपया 1,00,000/- निर्धारित की जाती है।

(2) नवीनीकरण हेतु आवेदन करते समय नवीनीकरण फीस वर्ष 2023-24 में रूपया 1,00,000/- ली जाएगी। नवीनीकरण की स्थिति में प्रोसेसिंग फीस देय नहीं होगी।

(3) वर्ष 2023-24 हेतु उपरोक्त अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-



क्र.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	अनुज्ञापन का विवरण	वर्ष 2023-24 हेतु लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)	वर्ष 2023-24 हेतु प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	BWFL-2A	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	17.50	9.00
2.	BWFL-2B	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित बीयर की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	12.5	6.50
3.	BWFL-2C	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित वाइन की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	3.0	1.5
4.	BWFL-2D	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल.ए.बी. की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	1.5	0.75

(4) अन्य व्यवस्थार्य:-

(क) यदि प्रदेश के बाहर की कोई इकाई प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाण्ड अनुज्ञापन लेना चाहे तो उसे विभिन्न जनपदों में अनुज्ञापन दिया जाएगा एवं इस निमित्त उससे प्रत्येक अनुज्ञापन हेतु निर्धारित प्रासेसिंग फीस व लाइसेंस फीस ली जाएगी।

बाण्ड अनुज्ञापनों से विक्रय किये जाने वाले ब्राण्ड्स, उनके लेबिलों एवं एम.आर.पी. का अनुमोदन उत्पादक, बाटलिंग इकाई द्वारा बाण्ड वार कराया जायेगा।

(ख) गत वर्ष की भाँति मास्टर वेयरहाउस (Master Warehouse) पंजीकरण अनुमन्य होगा एवं वर्ष 2023-24 हेतु पंजीकरण फीस रु.2,00,000/- प्रति वेयरहाउस रखी जाती है। गत वर्ष पंजीकृत मास्टर वेयर हाउस वर्ष 2023-24 हेतु रूपया रु.2,00,000/- नवीनीकरण फीस जमा करने पर आबकारी आयुक्त द्वारा उसके पंजीकरण का नवीनीकरण अनुमन्य किया जाएगा।

(ग) नवीनीकृत बाण्ड अनुज्ञापनों पर वर्ष 2022-23 में प्रतिफल शुल्क के मद में अग्रिम रूप से जमा और अनप्रयुक्त धनराशियों (यदि कोई हों) को वर्ष 2023-24 में अग्रणीत कर समायोजित किया जाएगा।

(घ) बाण्ड अनुज्ञापनों पर प्रदेश के बाहर से प्राप्त होने वाले परेषणों पर देय समस्त प्रकार के प्रतिफल शुल्क आदि आयात परमिट प्राप्त करते समय अग्रिम रूप से जमा कराये जायेंगे।

3.2.8 (i) विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीस:-

वर्ष 2023-24 में बोतलों में आयातित विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीस रु.12/- प्रति बल्क लीटर ली जाएगी। विदेशी मदिरा, माल्ट स्प्रिट, एच.बी.एस. स्पेशल स्प्रिट आदि के बल्क में आयात पर (मिलेटी कैन्टीन या सी.एस.डी. लाइसेंसधारी को छोड़कर) रु.7.5/-प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञा पत्र फीस ली जाएगी। ग्रेन ई.एन.ए. के आयात पर रु. 10/- प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञा पत्र फीस ली जायेगी।

(ii) विदेशी मदिरा की निर्यात पास फीस (सिविल):-


विदेशी मदिरा, माल्ट स्प्रिट, एच.बी.एस. स्पेशल स्प्रिट आदि का बल्क में निर्यात किये जाने पर निर्यात पास फीस वर्ष 2022-23 हेतु रु.6/- प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा का बोतलों में निर्यात किये जाने पर निर्यात पास फीस रु.3/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित है जिसे वर्ष 2023-24 में यथावत रखा जाता है। अन्य राज्यों में ग्रेन ई.एन.ए. की निर्यात फीस उत्तर प्रदेश की तुलना में अत्यंत कम है जिसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश से ग्रेन ई.एन.ए. का निर्यात अन्य राज्यों की तुलना में कम है अतः ग्रेन ई.एन.ए. के प्रदेश के बाहर निर्यात को प्रोत्साहित करने एवं इसकी दरों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के दृष्टिगत ग्रेन ई.एन.ए. के निर्यात के मामलों में निर्यात पास फीस की दर में कमी करते हुये इसे वर्ष 2023-24 हेतु रूपया 3/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।

वर्ष 2022-23 में भारतीय सेना को आपूर्ति की जाने वाली रियायती रम पर निर्यात पास फीस रुपये 1.00 प्रति ए.एल. निर्धारित है। जिसे वर्ष 2023-24 हेतु यथावत रखा जाता है।

प्रदेश में विदेशी मदिरा की आपूर्ति में कठिनाई होने पर निर्यात की अनुमति दिये जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

3.2.9 (अ) विदेशी मदिरा की 90 एम.एल.व 60 एम.एल. की धारिता में बिक्री :-

वर्ष 2022-23 में प्रीमियम एवं उससे ऊपर की श्रेणियों की विदेशी मदिरा की बिक्री 60 एम.एल. एवं 90 एम.एल. की धारिता की बोतलों में शीशे की बोतलों के साथ-साथ



सिरोंग पैक में भी अनुमन्य है साथ ही रेगुलर श्रेणी में केवल 90 एम.एल. तक की धारिता की शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में अनुमन्य है। उक्त व्यवस्था को वर्ष 2023-24 में यथावत रखा जाता है।

3.2.10 बार एवं क्लब लाइसेंस तथा समारोह बार लाइसेंस :-

(क) समस्त बार अनुज्ञापन उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसो की स्वीकृति) नियमावली, 2020(यथासंशोधित) के अनुसार संचालित एवं व्यवस्थित होंगे।


बार अनुज्ञापनों के आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस, लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत होगी एवं नवीनीकरण फीस लाइसेंस फीस का 01 प्रतिशत होगी।

वर्ष 2023-24 हेतु बार अनुज्ञापनों की श्रेणियां एवं उनकी लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	बार अनुज्ञापनों के प्रकार	विशेष श्रेणी	श्रेणी-1	श्रेणी-2	श्रेणी-3	श्रेणी-4
		गौतमबुद्धनगर के प्राधिकरण क्षेत्र, लखनऊ एवं गाजियाबाद के नगर निगम क्षेत्र एवं इसकी परिधि से 5 कि.मी. तक जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।	गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, लखनऊ, के संपूर्ण जिला क्षेत्र (विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर) तथा कानपुर नगर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी के नगर निगम क्षेत्र/जिला मुख्यालय के नगर पालिका परिषद्, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।	बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अयोध्या एवं फिरोजाबाद जिला के नगर निगम क्षेत्र/ जिला मुख्यालय के नगर पालिका परिषद् क्षेत्र, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।	अन्य समस्त जनपदों के जिला मुख्यालय एवं समस्त जनपदों के नगर पालिका परिषद् क्षेत्र, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।	विशेष श्रेणी, श्रेणी-1, श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्र में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।
1.	एफ.एल.-6	वार्षिक लाइसेंस फीस				
	50 कमरों तक	15 लाख	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख	2.50 लाख
	51 से 100 कमरों तक	17.50 लाख	12.50 लाख	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख

	101 या उससे अधिक कमराँ	20 लाख	15 लाख	12.50 लाख	10 लाख	7.50 लाख
2.	एफ.एल.-6 (पांच सितारा एवं उच्च होटल)	27.5 लाख	25 लाख	20 लाख	15 लाख	12.5 लाख
	एफ.एल.-6 (चार सितारा होटल)	25 लाख	22.50 लाख	17.50 लाख	12.50 लाख	10 लाख
	एफ.एल.-6 (तीन सितारा होटल)	20 लाख	17.50 लाख	15 लाख	10 लाख	9 लाख
3	एफ.एल.-7	15 लाख	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख	2.50 लाख
4.	एफ.एल.-7ए	वार्षिक लाइसेंस फीस				
	100 सदस्यों तक	3.00 लाख	3.00 लाख	3.00 लाख	1.50 लाख	1.50 लाख
	100 से अधिक सदस्यों के लिए	4.00 लाख	4.00 लाख	4.00 लाख	2.00 लाख	2.00 लाख
5	एफ.एल.-8 (विशेष रेल गाड़ियाँ एवं कूज)	विशेष रेल गाड़ियाँ - रुपया 15.00 लाख कूज(अंतरराष्ट्रीय)- रुपया 05.00 लाख कूज(अंतरराज्यीय)- रुपया 03.00 लाख				
6	एफ.एल.- ए.एल.-1 (एअरपोर्ट वार लाइसेंस)	रुपया 05.00 लाख				

नोट:-प्रत्येक बार अनुज्ञापन परिसर में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी सेवन के विरुद्ध स्टील प्लेटेड चेतावनी बोर्ड परिपत्र संख्या:9853-9937/ग्यारह-ई.आई.बी./नारकोटिक्स



संदेश बोर्ड/प्रयागराज दिनांक 06.01.2022 के अनुसार उचित स्थान पर लगाया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) बार अनुज्ञापनों की अतिरिक्त कार्यावधि:-


बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसो की स्वीकृति) नियमावली, 2020(यथासंशोधित) के नियम-24 के अनुसार होगी। गत वर्ष की भांति अतिरिक्त लाइसेंस फीस के भुगतान पर 2023-24 हेतु निम्नानुसार कार्यावधि अनुमन्य की जाती है:-

- 1- नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्धनगर में स्थित बारों से रु.एक लाख पच्चीस हजार रुपये अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 1.00 बजे रात्रि तक।
- 2- नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्धनगर में स्थित होटल बार अनुज्ञापन परिसरों में मदिरा परोसने की अवधि रु.दो लाख पचास हजार अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर रात्रि 02 बजे तक ।
- 3- तारांकित होटलों में रु.दो लाख पचास हजार प्रति 02 घन्टा की अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर रात्रि 04 बजे तक।
- 4- तारांकित होटलों में इनहाउस गेस्ट्स के लिये मदिरा परोसने की अवधि के संबंध में उपर्युक्त बिन्दु-3 के प्राविधान से छूट प्रदान की जाती है।

(ग) बार अनुज्ञापनों एवं माइक्रो ब्रिवरी का नवीनीकरण :-

1. वर्ष 2022-23 में बार, क्लब बार एवं माइक्रो ब्रिवरी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण संपूर्ण लाइसेंस फीस जमा किये जाने पर 03 वर्षों तक कराये जाने का भी विकल्प उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिसे 2023-24 में यथावत रखा जाता है। माइक्रोब्रिवरी से 5 लीटर तक के ग्राउलर/केग में बीयर की बिक्री अनुमन्य की जाती है। माइक्रोब्रिवरी में स्थापित टैंकों में संचित ड्युटी पेड बीयर की शेल्फ लाइफ अधिकतम 03 दिन होगी।

2. ईज आफ इइंग बिजिनेस के दृष्टिगत माइक्रो ब्रिवरी का नवीनीकरण बार अनुज्ञापन के साथ सुगमता से कराने हेतु नवीनीकरण का अधिकार आबकारी आयुक्त से जिला कलेक्टर को प्रतिनिधायित किये जाने का निर्णय लिया गया था जिसे वर्ष 2023-24 में यथावत रखा जाता है।



3. वर्ष 2023-24 में बार अनुज्ञापन एवं माइक्रो ब्रिवरी का अनुज्ञापन एक साथ आवेदित करने पर बार अनुज्ञापन एवं माइक्रोब्रिवरी की सम्मिलित लाइसेंस फीस में रु.50,000/- की छूट प्रथम वर्ष में प्रदान की जायेगी।

(घ) यदि किसी एफ.एल.-7 अनुज्ञापन के परिसर में ही लान अथवा स्वीमिंग पूल भी है और परिसर में निर्धारित बिक्री काउण्टर से अधिक बिक्री काउण्टर होने का औचित्य पाया जाता है तब अनुज्ञापन के प्रार्थना पत्र पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विचार करते हुये निर्णय लिया जायेगा और स्वीकृति की दशा में ऐसे परिसर में एक अतिरिक्त बिक्री काउण्टर हेतु रूपया 2,50,000/- अतिरिक्त लाइसेंस फीस ली जायेगी। एक से अधिक बिक्री काउण्टर स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

(ङ) वैयक्तिक होम लाइसेंस हेतु मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने की अधिकतम मात्रा आबकारी नीति वर्ष 2022-23 के संलग्नक-5 के अनुसार वर्ष 2023-24 में यथावत रखी जाती है।

3.3 भारत निर्मित वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (लो अल्कोहलिक बिवरेजेज़-एल.ए.बी.) पर प्रतिफल फीस एवं बिक्री की अनुमन्यता


3.3.1 वाइन:-

(क) वर्ष 2022-23 में भारत में निर्मित वाइन पर आयात शुल्क, रु.03/- प्रति ब.ली. निर्धारित है जिसमें वृद्धि कर वर्ष 2023-24 में भारत में निर्मित वाइन पर आयात शुल्क, रु.04/- प्रति ब.ली. रखा जाता है।

(ख) वर्ष 2022-23 में भारत निर्मित वाइन और समुद्रपार आयातित वाइन पर प्रतिफल फीस रु.75/- प्रतिलीटर या एम. आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो परन्तु इसकी अधिकतम सीमा रु.1,000/- प्रति लीटर निर्धारित है। उक्त व्यवस्था वर्ष 2023-24 में इस संशोधन के साथ रखी जाती है कि प्रतिफल फीस की अधिकतम सीमा रु.2000/- प्रतिलीटर होगी साथ ही प्रतिफल फीस को रु.10/- के अगले गुणक में रखा जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2023-24 हेतु निम्न व्यवस्थाएं निर्धारित की जाती हैं:-

1. वर्ष 2023-24 हेतु कांच की बोतलों में वाइन की आपूर्ति अनुमन्य होगी।
2. वाइन ब्राण्ड के मूल्य निर्धारण हेतु आसवनी/बाण्डधारक इकाई को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित ई.डब्ल्यू.पी. कास्ट एकाउटेन्ट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित है, जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड,



राजस्थान, मध्य प्रदेश, एवं बिहार (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित संबंधित ब्राण्ड या उसके सामानान्तर ब्राण्ड के लिये घोषित न्यूनतम ई.डब्ल्यू.पी. के समतुल्य अथवा उससे कम है। उल्लिखित निकटवर्ती राज्यों में यदि किसी ब्राण्ड की ई.डब्ल्यू.पी. वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित नहीं करायी गयी है तब उत्तर प्रदेश राज्य में गत वर्ष की अनुमोदित ई.डब्ल्यू.पी. एवं उसके द्वारा 2023-24 हेतु प्रस्तावित ई.डब्ल्यू.पी. का संज्ञान लेकर आबकारी आयुक्त द्वारा एम.आर.पी. का निर्धारण किया जायेगा, परन्तु उत्तर प्रदेश में एम.आर. पी. का अनुमोदन हो जाने के उपरांत अन्य समीपवर्ती राज्यों में उत्तर प्रदेश से कम ई.डब्ल्यू.पी. नहीं प्रस्तुत की जायेगी। ई.डब्ल्यू. पी. प्रस्तुत करते समय इसके समस्त काम्पोनेंट का विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा और समीपवर्ती राज्यों में अनुमोदित एम.आर.पी. से संबंधित समस्त विवरणों (कास्ट कार्ड)की तालिका भी प्रस्तुत की जायेगी।

विभिन्न प्रदेशों में ई.डब्ल्यू.पी. में सम्मिलित किये जाने वाले मदों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में लाइसेंस फीस, बॉटलिंग फीस, आयात फीस, ब्राण्ड पंजीकरण फीस, लेबुल अनुमोदन फीस, शीरा पर प्रशासनिक फीस, ई.एन.ए. पर वैट, परमिट फीस, स्पेशल फीस आदि भिन्न है। अतः ई.डब्ल्यू.पी. का मिलान करने हेतु इनका संज्ञान लिया जायेगा। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि जांच में अभिकथन असत्य पाये जाने पर रूपया एक लाख तक का अर्थ दण्ड आरोपित करते हुये ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा।

3. स्पेशल फीस एवं ट्रेक एण्ड ट्रेस क्रियान्वयन हेतु रु.0.35 प्रत्येक बोतल की ई.डब्ल्यू.पी. में सम्मिलित होंगे।

4. वाइन की ई.डब्ल्यू.पी. में बार-कोड, क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन में रु.0.15 प्रति यूनिट सम्मिलित होगी। आई.ई.एस.सी.एम.एस. लागू होने के उपरांत उपरोक्त रु.0.15 में से रु.0.09 जमा करना होगा।


(ग) वर्ष 2022-23 की भाँति वर्ष 2023-24 में वाइन की बिक्री विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप से की जायेगी।

3.3.2 कम तीव्रता के मादक पेय, ऐल, पोर्टर, साइडर व अन्य फर्मेंटेड लिक्वर:-

वर्ष 2022-23 में उक्त मादकों के संबंध में भी ई.बी.पी./ई.डी.पी. प्राप्त कर बीयर की भाँति एम.आर.पी. व प्रतिफल फीस का निर्धारण का प्राविधान है जिसे वर्ष 2023-24 में यथावत् बनाये रखा जाता है। वर्ष 2022-23 में उक्त मादकों की बिक्री बीयर, विदेशी मदिरा एवं माडल शाप में अनुमन्य है जिसे वर्ष 2023-24 में यथावत् रखा जाता है।

3.4 बीयर

3.4.1 बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस:-



बीयर की फुटकर दुकानों की वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2022-23 की वार्षिक लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये, निर्धारित की जाती है। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रूपया 5000/- के गुणक में नहीं पायी जाती है तो उसे बढ़ाकर रूपया 5000/- के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित की जाएगी।

3.4.2 बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी.:-

वर्ष 2022-23 हेतु बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण 500 मि.ली. के केन में माइल्ड (5 प्रतिशत वी./वी. या उससे कम अल्कोहल की तीव्रता) एवं स्ट्रांग (5 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत वी./वी. अल्कोहल की तीव्रता तक) के लिये समान रूप से करते हुये किया गया जिसे वर्ष 2023-24 हेतु यथावत रखा जाता है।

वर्ष 2023-24 हेतु बीयर का प्रतिफल शुल्क एवं एम.आर.पी. का आगणन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

ययासयक द्वारा एक्स ब्रिवरी प्राइस (ई.बी.पी.) घोषित करने हेतु निर्धारित एक्स यवासयनी / बाण्डधारक इकाई / एक्स सी.एस.डी. मूल्य प्रति केन 500 एम.एल.(रु.में) (EBP)	प्रतिफल फीस प्रति केन (500 मि.ली.) (रु.में) (D)	थोक विक्रेता का मार्जिन प्रति केन (500 मि.ली) (रु.में)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन प्रति केन (500 मि.ली) (रु.में)	अधिकतम फुटकर मूल्य प्रति केन (500 मि.ली.) MRP (रु.में) जिसे रु.10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में लिया जायेगा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27.50 तक	31+ई.बी.पी. का 90 प्रतिशत	1.25+ई.बी.पी. का 1.8 प्रतिशत	12.25+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग
27.50 से अधिक से 30.00 तक	32+ई.बी.पी. का 90 प्रतिशत	1.25+ई.बी.पी. का 1.8 प्रतिशत	12.25+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग
30.00 से अधिक से 35.00 तक	33+ई.बी.पी. का 100 प्रतिशत	1.5+ई.बी.पी. का 2 प्रतिशत	15+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग
35.00 से अधिक से 40.00 तक	35+ई.बी.पी. का 100 प्रतिशत	1.5+ई.बी.पी. का 2 प्रतिशत	15+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग
40.00 से अधिक से 45.00 तक	35+ई.बी.पी. का 105 प्रतिशत	1.5+ई.बी.पी. का 2 प्रतिशत	15+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग
45.00 से अधिक	35+ई.बी.पी. का 110 प्रतिशत	1.5+ई.बी.पी. का 2 प्रतिशत	15+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग

शेष प्रक्रिया गत वर्ष की भांति रहेगी।


वर्ष 2023-24 में केग में बीयर की आपूर्ति हेतु 20, 30 एवं 50 लीटर की धारिताओं को अनुमन्य किया जाता है, जिनकी ई.बी.पी. यवासवक द्वारा पृथक से प्रस्तुत की जायेगी जिसके आधार पर 500 एम.एल. केन के सापेक्ष उपरोक्तानुसार प्रतिफल शुल्क का आगणन किया जायेगा।

भारत निर्मित बीयर ब्राण्ड के मूल्य निर्धारण हेतु आसवनी/बाण्डधारक इकाई को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित ई.बी.पी. कास्ट एकाउटेन्ट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित है, जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एवं बिहार (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित संबंधित ब्राण्ड या उसके सामानान्तर ब्राण्ड के लिये घोषित न्यूनतम ई.बी.पी. के समतुल्य अथवा उससे कम है। उल्लिखित निकटवर्ती राज्यों में यदि किसी ब्राण्ड की ई.बी.पी. वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित नहीं करायी गयी है तब उत्तर प्रदेश राज्य में गत वर्ष की अनुमोदित ई.बी.पी. एवं उसके द्वारा 2023-24 हेतु प्रस्तावित ई.बी.पी. का संज्ञान लेकर आबकारी आयुक्त द्वारा एम.आर.पी. का निर्धारण किया जायेगा, परन्तु उत्तर प्रदेश में एम.आर.पी. का अनुमोदन हो जाने के उपरांत अन्य समीपवर्ती राज्यों में उत्तर प्रदेश से कम ई.बी.पी. नहीं प्रस्तुत की जायेगी। ई.बी.पी. प्रस्तुत करते समय इसके समस्त कम्पोनेंट का विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा और समीपवर्ती राज्यों में अनुमोदित एम.आर.पी. से संबंधित समस्त विवरणों (कास्ट कार्ड)की तालिका भी प्रस्तुत की जायेगी।

विभिन्न प्रदेशों में ई.बी.पी. में सम्मिलित किये जाने वाले मदों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में लाइसेंस फीस, बॉटलिंग फीस, आयात फीस, ब्राण्ड पंजीकरण फीस, लेबुल अनुमोदन फीस, शीरा पर प्रशासनिक फीस, ई.एन.ए. पर वैट, परमिट फीस, स्पेशल फीस आदि भिन्न हैं। अतः ई.बी.पी. का मिलान करने हेतु इनका संज्ञान लिया जायेगा। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि जांच में अभिकथन असत्य पाये जाने पर रूपया एक लाख तक का अर्थ दण्ड आरोपित करते हुये ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा।

स्पेशल फीस एवं ट्रेक ऐण्ड ट्रेस क्रियान्वयन फीस ई.बी.पी. में सम्मिलित होगी। बीयर की ई.बी.पी. में बार-कोड, क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन में रु.0.15 प्रति यूनिट सम्मिलित होगी। आई.ई.एस.सी.एम.एस. लागू होने के उपरांत उपरोक्त रु.0.15 में से रु.0.09 जमा करना होगा।

3.4.3 बीयर से संबंधित अन्य व्यवस्थायें:-



(क) बीयर की शेल्फ लाइफ

वर्ष 2022-23 में प्रदेश में बिक्री हेतु आपूर्ति भारत निर्मित बीयर हेतु यवासवनी को इस आशय का प्रमाण-पत्र दिये जाने की स्थिति में कि उनका उत्पाद 10 माह तक उपभोग हेतु उपयुक्त है संबंधित ब्राण्ड की बीयर की शेल्फ लाइफ 9 माह तक अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसे वर्ष 2023-24 में यथावत रखा जाता है।

(ख) भारत निर्मित बीयर, ड्राट बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर निर्यात और आयात शुल्क को वर्ष 2023-24 में निम्नानुसार रखा जाता है:-

क्र.सं.	शुल्क का प्रकार	वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित
1.	निर्यात शुल्क	रु.2.50/- प्रति बल्क लीटर।
2.	आयात शुल्क	रु. 4.00/- प्रति बल्क लीटर।

3.4.4 अन्य देशों से आयातित बीयर एवं एल.ए.बी. की परमिट फीस:-

वर्ष 2023-24 में अन्य देशों से आयातित सभी तीव्रता की बीयर एवं एल.ए.बी. के लिये परमिट फीस की दर रूपया 175/- प्रति लीटर रखी जाती है।

3.4.5 माइक्रो ब्रिवरी द्वारा उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दर:-

माइक्रो ब्रिवरी द्वारा उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दर वर्ष 2022-23 में रु.80/- प्रति ब.ली. है जिसे वर्ष 2023-24 में रु.125/-प्रति ब.ली. निर्धारित किया जाता है।

3.5 माडल शॉप्स और प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स

3.5.1 मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस:-

(अ) मॉडल शॉप्स की वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2022-23 की वार्षिक लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रूपया 5,000/- के गुणक में नहीं पायी जाती है तो उसे बढ़ाकर रूपया 5,000/- के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित किया जायेगा। वर्ष 2022-23 में नवीनीकृत माडल शॉप की लाइसेंस फीस संबंधित प्रास्थिति, निकाय के लिये नवसृजित माडल शाप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम नहीं होने की व्यवस्था को समाप्त किया गया है। उक्त निर्णय वर्ष 2023-24 में यथावत रखा जाता है।

(ब) माडल शॉप पर मदिरा पान का शुल्क रूपया 3,00,000/- निर्धारित किया जाता है।

3.5.2 प्रीमियम रिटेल वेण्ड

(1) प्रीमियम रिटेल वेण्ड का नवीनीकरण

वर्ष 2022-23 में व्यवस्थित प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापनों का वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस पर नवीनीकरण कराया जाएगा। नवीनीकरण हेतु प्रासेसिंग फीस एवं

नवीनीकरण फीस जमा करके इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी में प्रस्तुत किये जायेंगे। लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा 7 कार्यदिवस के अंदर प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर निर्णय लेते हुये उपयुक्त पाये जाने पर अनुज्ञापी को लाइसेंस फीस जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। प्रासेसिंग फीस एवं नवीनीकरण फीस विदेशी मदिरा दुकानों के समतुल्य होगी।

(2) लाइसेंस फीस

वर्ष 2022-2023 में प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु रूपया बीस लाख लाइसेंस फीस निर्धारित है जिसे वर्ष 2023-24 में रूपया पच्चीस लाख निर्धारित किया जाता है।

(3) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर वोदका एवं रम 700 रूपये या अधिक एम.आर.पी. की ब्राण्ड और बीयर के 140 रूपये प्रति 500 एम.एल. केन के एम.आर.पी. या समतुल्य ब्राण्ड का बिक्री का प्राविधान है। इस श्रेणी की अन्य धारिताओं के अनुमन्यता के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वोदका एवं रम की प्रति बोतल एवं बीयर प्रति केन निर्धारित दरों पर जो ब्राण्ड अनुमन्य हैं उन ब्राण्डों की सभी धारितायें बिक्री के लिये अनुमन्य होंगी। प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु अनुमन्य अन्य श्रेणियों की मदिरा की समस्त धारिताओं की बिक्री भी अनुमन्य होगी।

(4) वर्ष 2023-24 में निम्न प्राविधान किया जाता है:-

(i) समस्त प्रकार के कम तीव्रता के मादक पेय(एल.ए.बी.) की बिक्री भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड में अनुमन्य होगी।

(ii) हवाई अड्डों पर भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुमन्य होंगे।

(iii) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर पृथक कक्ष में केवल वाइन टेस्टिंग की सुविधा अनुमन्य होगी और टेस्टिंग कक्ष में विक्रय प्रतिबंधित होगा।

(iv) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर मदिरा सेवन संबंधी एक्सेसरीज जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेंगी, की बिक्री भी अनुमन्य होगी।

3.6 विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों, प्रीमियम रिटेल वेण्ड एवं माडल शाप में मासिक राजस्व के उठान की अनिवार्यता

3.6.1 वर्ष 2023-24 में प्रीमियम रिटेल वेण्ड पर भी मासिक राजस्व के उठान की अनिवार्यता की जाती है। वर्ष 2022-23 में विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों, प्रीमियम रिटेल वेण्ड एवं माडलशाप पर ली गयी निकासी में सन्निहित वार्षिक राजस्व में वर्ष 2023-24 हेतु 05 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। वर्ष 2023-24 में नवसृजित विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडलशाप (प्रस्तर-3.11.1 (ग) के प्रकरणों को छोड़कर) का वार्षिक/मासिक

राजस्व निर्धारित नहीं किया जायेगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित वार्षिक राजस्व के आधार पर वर्ष के माहों का मासिक राजस्व निर्धारित होगा।

वार्षिक राजस्व का मासिक विभाजन निम्नवत् किया जाता है:-

क्र.सं.	माह	वार्षिक राजस्व का प्रतिशत
1.	अप्रैल	7 प्रतिशत
2.	मई	10 प्रतिशत
3.	जून	8 प्रतिशत
4.	जुलाई	6 प्रतिशत
5.	अगस्त	6 प्रतिशत
6.	सितम्बर	6 प्रतिशत
7.	अक्टूबर	10 प्रतिशत
8.	नवम्बर	10 प्रतिशत
9.	दिसम्बर	10 प्रतिशत
10.	जनवरी	10 प्रतिशत
11.	फरवरी	9 प्रतिशत
12.	मार्च	8 प्रतिशत

3.6.2 माडल शाप के वार्षिक/मासिक राजस्व में विदेशी मदिरा तथा बीयर का राजस्व सम्मिलित माना जाएगा।

3.6.3 किसी भी माह हेतु निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी लिये जाने के प्राविधान का पालन न किये जाने की स्थिति में यह व्यवस्था की जाती है कि संबंधित माह के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने हेतु 10 दिवस का अवसर दिया जायेगा और तत्पश्चात अतिरिक्त प्रतिभूति जमा न होने की स्थिति में दुकान का अनुज्ञापन स्वतः निरस्त हो जायेगा और कुल राजस्व क्षति की नियमानुसार वसूली की जायेगी। दुकान पर उपलब्ध अविक्रीत स्टॉक को जब्त कर लिया जायेगा। संबंधित माह के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति समयांतर्गत जमा करने की दशा में अगले माह हेतु निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी एवं पिछले माह तक के बकाया राजस्व के समतुल्य निकासी अनुज्ञापी द्वारा ली जा सकेगी। किसी माह तक निर्धारित कुल चलित राजस्व के समतुल्य निकासी ले लिये जाने पर पूर्व में जमा अतिरिक्त प्रतिभूति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा




अन्य कोई बकाया न रहने की स्थिति में अविलम्ब वापस कर दी जायेगी। अगले माह में आवश्यक राजस्व(पिछले माह के बकाया राजस्व सहित)उठान न करने पर प्रशमन की कार्यवाही की जायेगी।

3.7 समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की आपूर्ति

3.7.1 वर्ष 2023-24 में समुद्र पार आयातित मदिरा की आपूर्ति हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है:-

- (1) आयातक इकाई का तत्पर्य वैध आयात/निर्यात प्रमाण पत्र (आई.ई.सी.) धारक से है।
- (2) समुद्रपार आयातित मदिरा का आयात करने वाली ऐसी समस्त आयातक इकाइयों (क) जो प्रदेश में सीधे अपने किसी कस्टम बाण्ड में आयात कर अथवा (ख) अन्य प्रांतों में स्थित किन्हीं अन्य आयातक इकाइयों के कस्टम बाण्डों से स्थानांतरण प्राप्त कर अथवा (ग) अन्य प्रांतों में स्थित किसी आयातक इकाई के कस्टम बाण्ड को स्थानांतरण कर अथवा (घ) प्रदेश में स्थित किसी अन्य आयातक इकाई के कस्टम बाण्ड को मदिरा का स्थानांतरण कर अथवा (ङ) प्रदेश में समुद्रपार आयातित मदिरा का किसी प्रकार से कार्य करती हों, को उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग के विहित पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। आयातक इकाई एवं उसके किसी एक कस्टम बाण्ड के युग्म का एक पंजीकरण किया जायेगा।
- (3) आयातक इकाइयों को आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क रूपया 50,000/- (रूपया पचास हजार मात्र) निर्धारित किया जाता है जो आनलाइन जमा किया जायेगा।
- (4) आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत आयातक इकाइयों को परस्पर प्रदेश के अंदर एवं प्रदेश से बाहर अथवा प्रदेश के बाहर से प्रदेश के अंदर कस्टम बाण्ड से कस्टम बाण्ड समुद्रपार मदिरा का स्थानांतरण/लेन-देन/व्यापार आदि का विवरण विभागीय पोर्टल पर भरा जाना अनिवार्य होगा।
- (5) प्रदेश के किसी कस्टम बाण्ड के माध्यम से समुद्रपार आयातित मदिरा का व्यवसाय करने वाली आयातक इकाइयों को प्रदेश के थोक अथवा विहित फुटकर अनुज्ञापनों को समुद्रपार आयातित मदिरा की बिक्री करने हेतु बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन लेना अनिवार्य होगा।
- (6) बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन का लाइसेंस शुल्क रू.10,00,000/- (रूपया दस लाख मात्र) एक आबकारी वर्ष अथवा इसके किसी भाग के लिये निर्धारित किया जाता है। प्रतिभूति धनराशि रू.5,00,000/- (रूपया पाँच लाख मात्र) निर्धारित की जाती है।



(7) किसी जनपद के बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन के अंतर्गत उसी जनपद में स्थित मात्र एक कस्टम बाण्ड ही संबद्ध किया जायेगा परन्तु किसी एक कस्टम बाण्ड में एक से अधिक आयातक इकाइयों द्वारा पृथक-पृथक स्पेस आवंटित कराकर उन्हें अपने बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों से संबद्ध कराया जा सकता है।

(8) बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के अंतर्गत अपेक्षित सूचनाओं के अतिरिक्त संबद्ध किये जाने वाले कस्टम बाण्ड का अपेक्षित विवरण एवं इसमें स्पेस आवंटित होने का प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन के संचालन हेतु एक डिबान्डेड मदिरा का गोदाम अनिवार्य होगा जिसका परिसर उसी जनपद में तथा संबद्ध कस्टम बाण्ड के परिसर से बाहर होगा। बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन का संचालन उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।

(9) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत समस्त आयातक इकाइयों द्वारा प्रदेश में स्थित अपने बी.आई.ओ.-1 से प्रदेश के बाहर के किसी थोक विक्रेता/फुटकर विक्रेता (कस्टम बाण्ड को छोड़कर) जिसके पास वैध आयात परमिट हो, को कस्टम ड्युटी पेड मदिरा के निर्यात हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारी से आनलाइन निर्यात परमिट अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा तथा संबंधित मदिरा की निकासी (निर्यात) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल द्वारा निर्गत परिवहन पास के माध्यम से ही की जायेगी। उपरोक्त निर्यात (कस्टम बाण्ड से अन्य कस्टम बाण्ड की आपूर्ति को छोड़कर) पर रूपया 300/- प्रति बल्क लीटर परमिट फीस देय होगी।

(10) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को प्रदेश में स्थित अपने कस्टम बाण्ड से किसी अन्य आयातक इकाई के कस्टम बाण्ड को मदिरा के स्थानांतरण हेतु पोर्टल पर अपेक्षित समस्त सूचनाओं को भरा/अपलोड किया जायेगा तथा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी का निःशुल्क अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(11) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को प्रदेश के बाहर की किसी आयातक इकाई जो उत्तर प्रदेश के विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत हों, से ही पोर्टल पर विहित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करेगा।



(12) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को विदेश से सीधे मदिरा आयात किये जाने की स्थिति में पोर्टल पर विहित प्रक्रिया का पालन करते हुये संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करेगा।

(13) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को अपने कस्टम बाण्ड में प्राप्त मदिरा एवं इसकी निकासी का वांछित विवरण, अपेक्षित प्रपत्रों के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।


(14) उत्तर प्रदेश के थोक अनुज्ञापनों एवं विहित फुटकर अनुज्ञापनों को समुद्रपार आयातित मदिरा की बिक्री किये जाने वाले समस्त ब्राण्डों एवं लेबिलों का प्रत्येक बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञापन वार अनुमोदन/पंजीकरण निर्धारित आनलाइन प्रक्रिया एवं निर्धारित शुल्क जमा करते हुये, कराया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु ब्राण्ड स्वामी अथवा भारत में संबंधित ब्राण्ड के प्रमुख आयातक/ब्राण्ड स्वामी का प्राधिकार पत्र अनिवार्य नहीं होगा।

(15) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों के प्रदेश में स्थित कस्टम बाण्डों में संचित किये जाने वाले ऐसे समस्त ब्राण्डों एवं लेबिलों, जिनकी बिक्री उत्तर प्रदेश के थोक अनुज्ञापनों एवं विहित फुटकर अनुज्ञापनों को नहीं की जानी होगी, का भी आनलाइन अनुमोदन/पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह अनुमोदन/पंजीकरण निःशुल्क होगा।

(16) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को प्रत्येक कस्टम बाण्ड टु कस्टम बाण्ड निकासी से संबंधित रीवेयरहाउसिंग प्रमाण पत्र पोर्टल पर नियत समयावधि में अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्रदेश के किसी कस्टम बाण्ड से किसी अन्य कस्टम बाण्ड हेतु जाने वाले समस्त पारेषणों को उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा निर्गत एफ.एल.-36 परिवहन पास के अंतर्गत ही प्रेषित किया जायेगा।

(17) समुद्रपार विदेशी मदिरा अथवा बीयर के पारेषण छोटे होते हैं अतः बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन से कई गंतव्य स्थानों हेतु एक ही वाहन से मदिरा का परिवहन किये जाने की अनुमन्यता प्रदान की जाती है।

(18) वर्ष 2023-24 हेतु गतवर्ष के बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों का नवीनीकरण वर्ष 2023-24 के उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत कराया जाना अनुमन्य होगा। नवीनीकरण फीस रूपया एक लाख निर्धारित की जाती है। नये बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस रूपया 1,00,000/- होगी। नवीनीकरण के मामलों में प्रासेसिंग फीस नहीं ली जायेगी।



(19) यदि उत्तर प्रदेश के किसी कस्टम बाण्ड के माध्यम से मदिरा व्यवसाय करने वाली आयातक इकाई द्वारा विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया जाता है तब उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

3.7.2 समुद्र पार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की एम. आर. पी. एवं परमिट फीस:-

वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और एल.ए.बी. की एम.आर.पी.का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:-

(1) समुद्र पार आयातित विदेशी मदिरा की एम.आर.पी.:-

सी.आई.एफ. मूल्य प्रति बोतल (750एम.एल.)	लाभांश+ हैंडलिंग चार्ज	कस्टम इयूटी	एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस	थोक विक्रेता का मार्जिन	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	अधिकतम खुदरा मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	सी.आई.एफ. मूल्य का 150 प्रतिशत	1+2	विदेशी मदिरा के मामले में संबंधित तालिका के अनुसार (यथावश्यकता समानुपातिक)	₹.5.00+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 3.00% (यथावश्यकता अनुपातिक)	₹.90+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 10.00% (यथावश्यकता अनुपातिक)	3+4+5+6+7 का योग (जिसे ₹.10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त परमिट फीस के रूप में लिया जायेगा। साथ ही विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क भी लिया जायेगा)

(2) समुद्र पार आयातित विदेशी मदिरा की परमिट फीस:-

यथा घोषित एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य प्रति बोतल (750 एम.एल.)	वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित परमिट फीस
₹. 0 से 600 तक	₹.400 + एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 40 प्रतिशत
₹.600 से अधिक से 1500 तक	₹.650 + एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 30 प्रतिशत
₹.1500 से अधिक से 3000 तक	₹.1000 + एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 20 प्रतिशत
₹.3000 से अधिक	₹.1500 + एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 10 प्रतिशत

(3) समुद्रपार आयातित बीयर एवं एल.ए.बी. की एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नांकित तालिका के अनुसार किया जायेगा:-

सी. आई. एफ. मूल्य	लाभांश	कस्टम ड्यूटी	एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस	थोक विक्रेता का मार्जिन	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	अधिकतम खुदरा मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	सी. आई. एफ. मूल्य का 150 प्रतिशत	1+2	रुपया 175/- प्रति ब. ली.	आयातक द्वारा प्रस्तावित	आयातक द्वारा प्रस्तावित	3+4+5+6+7 का योग (जिसे रु. 10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त परमिट फीस के रूप में लिया जायेगा। साथ ही विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क भी लिया जायेगा)

(4) समुद्रपार आयातित वाइन की एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नांकित तालिका के अनुसार किया जायेगा:-

सी.आई. एफ. मूल्य	लाभांश+हैंडलिंग चार्ज	कस्टम ड्यूटी	एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस	थोक विक्रेता का मार्जिन (प्रति 750 एम.एल.)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (प्रति 750 एम.एल.)	अधिकतम खुदरा मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	सी.आई.एफ. मूल्य का 150 प्रतिशत	1+2	प्रस्तर 3.3.1(ख) के अनुसार	रु.5.00+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य(750 एम.एल.) का 3.00% (यथावश्यकता अनुपातिक)	रु.90.00+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य(750 एम.एल.) का 3.00% (यथावश्यकता अनुपातिक)	3+4+5+6+7 का योग (जिसे रु.10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त परमिट फीस के रूप में लिया जायेगा। साथ ही विशेष प्रतिफल शुल्क भी लिया जायेगा)

(5) घोषित सी.आई.एफ. मूल्य पंजीकरण के विगत 3 माह के औसत के आधार पर होगा। स्पेशल फीस एवं ट्रैक एण्ड ट्रेस क्रियान्वयन फीस एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य में सम्मिलित होगा।

(6) यदि बी.आई.ओ.-1 द्वारा समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की बिक्री सीधे प्रीमियम रिटेल वेण्ड अथवा बार अनुज्ञापन को की जाती है तब एम.आर.पी.

निर्धारण के अंतर्गत निर्धारित थोक विक्रेता के मार्जिन के समतुल्य धनराशि को प्रतिफल शुल्क के शीर्षक के अंतर्गत राजकोष में जमा कराया जाएगा।

(7) समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड के मूल्य निर्धारण हेतु आयातक इकाई को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य, कास्ट एकाउटेन्ट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित है, जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एवं बिहार (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित संबंधित ब्राण्ड के लिये घोषित न्यूनतम एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य के समतुल्य अथवा उससे कम है। उल्लिखित निकटवर्ती राज्यों में यदि किसी ब्राण्ड की एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित नहीं करायी गयी है तब उत्तर प्रदेश राज्य में गत वर्ष की अनुमोदित एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य एवं उसके द्वारा 2023-24 हेतु प्रस्तावित एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का संज्ञान लेकर आबकारी आयुक्त द्वारा एम.आर.पी. का निर्धारण किया जायेगा, परन्तु उत्तर प्रदेश में एम.आर.पी. का अनुमोदन हो जाने के उपरांत अन्य समीपवर्ती राज्यों में उत्तर प्रदेश से कम एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य नहीं प्रस्तुत की जायेगी।

(8) नेपाल निर्मित बीयर एवं भूटान निर्मित मदिरा एवं बीयर के आयात को देश के अन्य राज्यों की भौति आयात/निर्यात माना जाएगा।

(9) समुद्रपार आयातित मदिरा के ब्राण्डों के विभिन्न वैरियेंट्स उनके मेच्योरेशन अवधि के आधार पर मान्य होंगे।

(10) समुद्रपार आयातित मदिरा की ई.सी.बी.वी. में बार-कोड, क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन में रु.0.15 प्रति यूनिट सम्मिलित होगी। आई.ई.एस.सी.एम.एस. लागू होने के उपरांत उपरोक्त रु.0.15 में से रु.0.09 जमा करना होगा।

3.8 भांग:-

3.8.1 लाइसेंस फीस

भांग की फुटकर दुकान की वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2022-23 की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये रूपया 1,000/- के अगले गुणक में निर्धारित की जाएगी। वर्ष 2022-23 में जिन भांग दुकानों का नियमित व्यवस्थापन नहीं हो सका उन्हें समाप्त किया जाता है।

3.8.2 भांग की निर्यात फीस:-

वर्ष 2023-24 हेतु भांग की अन्य प्रांतों हेतु निर्यात फीस को रु.30/- प्रति किलोग्राम रखा जाता है।



3.8.3 भांग की थोक आपूर्ति:-

वर्ष 2022-23 में भांग की थोक आपूर्ति के संबंध में की गयी व्यवस्था को वर्ष 2023-24 में यथावत् रखा जाता है। भांग की थोक आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता के चयन और प्राप्त दरों का अनुमोदन आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

3.9 देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और माडल शॉप का सृजन:-

3.9.1 वर्ष 2023-24 में, वर्ष 2022-23 में व्यवस्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शॉप एवं भांग की श्रेणीवार कुल दुकानों की संख्या के, 02 प्रतिशत तक के समतुल्य प्रत्येक श्रेणी में दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को दिया जाता है। इससे अधिक की आवश्यकता पड़ने पर शासन की अनुमति से नई दुकानों का सृजन किया जा सकेगा।

3.9.2 नवसृजित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर दुकानों का न्यूनतम एम.जी.क्यू./बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस:-

3.9.2.1 वर्ष 2023-24 हेतु असेवित क्षेत्र में नवसृजित देशी मदिरा की दुकानों का न्यूनतम एम.जी.क्यू. एवं नवसृजित विदेशी मदिरा, बीयर दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस वर्ष 2022-23 की भाँति निम्नवत् रखा जाता है:-

क्र. सं.	नवसृजित दुकान की प्रास्थिति	न्यूनतम एम.जी.क्यू. (36प्रतिशत वी./वी.) (ब.ली.में)	न्यूनतम लाइसेंस फीस (रुपये में)	
		देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	बीयर
1.	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि तक	26,600	13,60,000	2,60,000
2.	नगर पालिका व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि तक	19,000	4,65,000	1,40,000
3.	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि.मी. की परिधि तक	11,500	2,25,000	85,000
4.	ग्रामीण	6,600	1,20,000	75,000

3.9.2.2 नवसृजित मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस:-

वर्ष 2023-24 हेतु नवसृजित मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस गतवर्ष की भाँति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र. सं.	निकाय	लाइसेंस फीस (रूपये में)
1.	लखनऊ एवं गाजियाबाद के नगर निगम क्षेत्र तथा नोयडा और ग्रेटर नोयडा के प्राधिकरण क्षेत्र के लिये	न्यूनतम रु.75.00 लाख।
2.	अन्य नगर निगम क्षेत्रों के लिये	न्यूनतम रु.65.00 लाख।
3.	अन्य स्थानों पर स्थित मॉडल शॉप्स के लिये	न्यूनतम रु.22.00 लाख।

प्रतिभूति धनराशि विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की भौति लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत निर्धारित जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मॉडल शॉप्स पर मदिरा पान की सुविधा अनुमन्य करने के लिये वर्ष 2022-23 हेतु रु.2,50,000/- वर्ष या वर्ष के भाग के लिये निर्धारित है जिसे वर्ष 2023-24 में 3,00,000/- रखा जाता है।

3.10 देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और माडल शॉप का वर्ष 2023-24 हेतु नवीनीकरण:-

3.10.1 दुकानों का वर्ष 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जायेगा:-

1. अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।
2. वर्ष 2022-23 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।
3. नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी को रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-1) पर देना होगा।

पूर्व के भवन/परिसर की अनुपलब्धता की स्थिति में दुकानों का नवीनीकरण इस शर्त के साथ कि उक्त दुकान की अवस्थिति में परिवर्तन न हो. परिवर्तित चौहद्दी पर भी किया जा सकता है, और इस संबंध में लाइसेंस प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

3.10.2 देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और माडल शॉप के वर्ष 2023-24 हेतु नवीनीकरण की प्रक्रिया

(क) सर्वप्रथम संबंधित जिला के जिला कलेक्टर, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और जिला की वेबसाइट पर संक्षिप्त विज्ञप्ति जिसका सामान्य प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, प्रकाशित कराकर जिला की व्यवस्थित और नवीनीकरण हेतु अर्ह दुकानों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि दुकानों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, जिला की वेबसाइट, ई-लाटरी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(ख) वर्ष 2022-23 की अर्ह दुकानों के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र जिसका प्रारूप संलग्नक-1 है, अपलोड किया जायेगा तथा प्रोसेसिंग फीस की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस वर्ष 2023-24 हेतु निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

क्र.सं.	फुटकर दुकान का प्रकार	आवेदन की प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)
1.	देशी मदिरा	30,000/-
2.	विदेशी मदिरा	35,000/-
3.	बीयर	30,000/-
4.	मॉडल शॉप्स	50,000/-
5.	भांग	20,000/-

ई-लाटरी हेतु भी उपरोक्त प्रोसेसिंग फीस ही ली जायेगी।

आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि बैंक/कोषागार के 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा की जा सकेगी।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि समयान्तर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2022-23 की प्रतिभूति जो 2023-24 के लिये अग्रणीत की जानी थी, का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2023-24 की नवीनीकरण फीस व बेसिक लाइसेंस फीस/ लाइसेंस फीस (यदि जमा किया गया हो) राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी दुकान का वर्ष 2023-24 हेतु नवीनीकरण संपन्न होने के पश्चात वर्ष 2022-23 के अनुज्ञापन की शर्तों के उल्लंघन अथवा अन्य किसी अनियमितता से उस दुकान का अनुज्ञापन वर्ष 2022-23 में निरस्त कर दिया जाता है तब उस दुकान के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु जमा बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति का अंतर(यदि जमा किया गया हो) राज्य सरकार के पक्ष में जब्त नहीं किया जायेगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नवीनीकरण कराने के पश्चात दुकान को उचित अवस्थिति में खोलने और संचालित करने का संपूर्ण दायित्व अनुज्ञापी का होगा।

3.10.3 नवीनीकरण फीस:-

वर्ष 2023-24 हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर तथा भांग की फुटकर दुकानों और माडल शाप की नवीनीकरण फीस को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र.सं.	निकाय	नवीनीकरण फीस की दर प्रति दुकान (रुपये में)				
		देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	बीयर	मॉडल शॉप्स	भांग
1.	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	1,00,000	1,00,000	75,000	1,05,000	6,500
2.	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	90,000	90,000	65,000	95,000	6,500
3.	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	70,000	70,000	45,000	70,000	6,500
4.	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	40,000	40,000	25,000	55,000	6,500

3.11 ई-लाटरी द्वारा दुकानों का व्यवस्थापन

3.11.1 (क) नवीनीकरण से अवशेष देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॉप्स का वर्ष 2023-24 हेतु व्यवस्थापन ई-लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। ई-लाटरी का प्रथम चरण (नवीनीकरण से अवशेष समस्त दुकानों हेतु) वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू./लाइसेंस फीस/ वार्षिक राजस्व (जिसका मासिक विभाजन प्रस्तर-3.6.1 के अनुसार किया जायेगा) पर होगा।

(ख) गत वर्ष की भाँति वर्ष 2023-24 हेतु ई-लाटरी में किसी आवेदक को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शॉप को मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी, प्रतिबंध यह होगा कि यदि किसी को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022-23 में दो अथवा इससे अधिक दुकानें आवंटित अथवा नवीनीकृत थीं तब उनका वर्ष 2023-24 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकता है। अग्रेतर प्रतिबंध यह होगा कि यदि आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में दो या दो से अधिक दुकानों का नवीनीकरण करा लिया गया है तो वह अवशेष रिक्त दुकानों के चयन हेतु ई-लाटरी/ई-टेण्डर हेतु अर्ह नहीं होगा। ऐसे आवेदक को प्रदेश में कोई अन्य दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। अनुज्ञापी की मृत्यु के फलस्वरूप विधिक वारिस के पक्ष में अनुज्ञापन के नामांतरण वाले मामलों में उक्त प्रतिबंध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

चयनोपरांत चयनित आवेदक द्वारा देय बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि एवं अन्य देय धनराशियाँ भी ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदित दुकान की धरोहर धनराशि का मूल बैंक ड्राफ्ट आवेदक द्वारा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। चयन की स्थिति में पूर्ण रूपेण देयतायें जमा करने पर और दुकान आवंटित न होने पर धरोहर धनराशि का मूल बैंक ड्राफ्ट अनुज्ञापी/ आवेदक को 15 दिन के अन्दर निर्धारित प्रक्रियानुसार वापस कर दिया जाएगा।

ई-लाटरी का प्रत्येक चरण सम्पूर्ण प्रदेश में एक ही दिन में संपन्न कराया जाएगा। ई-लाटरी प्रणाली से दुकानों का व्यवस्थापन गत वर्ष की भांति एन.आई.सी. के माध्यम से कराया जाएगा। ई-लाटरी से संबंधित सुसंगत सूचना को आबकारी विभाग की वेबसाइट के अतिरिक्त प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) ई-टेण्डर के पश्चात कुल अव्यवस्थित एम.जी.क्यू. अथवा लाइसेंस फीस के व्यवस्थापन हेतु जिले में आवश्यक नयी दुकानों का सृजन कर कुल अव्यवस्थित एम.जी.क्यू. अथवा लाइसेंस फीस को व्यवस्थित कराने हेतु अग्रेतर चरण का व्यवस्थापन कराया जायेगा। इस हेतु अव्यवस्थित/नवसृजित देशी मदिरा दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस रूपया 36/- प्रति लीटर एम.जी.क्यू. (पुनर्आवंटित) के आधार पर निर्धारित की जायेगी। अव्यवस्थित एवं नवसृजित दुकानों के मध्य अव्यवस्थित कुल वार्षिक राजस्व का पुनरावंटन युक्ति-युक्त ढंग से किया जायेगा।

(घ) उपरोक्त उप प्रस्तर-(ग) से आच्छादित अव्यवस्थित एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा और इस ई-लाटरी के पश्चात अव्यवस्थित रह गयीं दुकानें समाप्त हो जायेंगी।

(ङ) दुकानों को दैनिक आधार पर चलाया जाना:-

फुटकर दुकानों के दैनिक आधार पर संचालन के संबंध में वर्ष 2022-23 की व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

(च) दुकानों का मध्य सत्र में व्यवस्थापन/पुनर्व्यवस्थापन:-

दुकानों के मध्य सत्र में पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में वर्ष 2022-23 में लागू व्यवस्था को वर्ष 2023-24 में यथावत रखा जाता है। मध्य सत्र में व्यवस्थापित की जाने वाली दुकानों की ई-टेण्डर प्रक्रिया में एकल टेण्डर भी स्वीकार किये जायेंगे।

(छ) प्रतिभूति की धनराशि/प्रतिभूति की धनराशि के अंतर को जमा किये जाने की प्रक्रिया:-

वर्ष 2023-24 हेतु प्रतिभूति/ प्रतिभूति के अंतर की धनराशि सावधि जमा रसीद अथवा नगद जमा के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा। पूर्व में अन्य प्रकार से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी जब तक उसकी वापसी न कर दी गयी हो।

(ज) अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण:-




- (1) वर्ष 2023-24 में मदिरा/भांग की फुटकर दुकानों के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र तथा आयकर रिटर्न का विवरण अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
- (2) देशी मदिरा की दुकान के लिये दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस के योग की धनराशि के 1/6 भाग के समतुल्य तथा विदेशी मदिरा, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॉप्स के लिये दुकान की लाइसेंस फीस की धनराशि के अन्यून धनराशि का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूलरूप में) वांछित होगा तथा चयन होने की दशा में इसे मूल रूप में प्राप्त करने के उपरान्त ही अनुज्ञापन निर्गत किया जाएगा। दिनांक 01.01.2022 के पश्चात निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। यदि हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति किसी अन्य जिला के आबकारी कार्यालय में जमा है तब इसकी प्रमाणित छाया प्रति, जिसे मूल प्रति प्राप्तकर्ता जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (3) आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शपथ-पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (4) वर्ष 2023-24 हेतु नवीनीकृत होने वाली दुकानों के संबंध में वर्ष 2022-23 हेतु व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये हैसियत प्रमाण-पत्र, वैधता समाप्त न हो तो मान्य होंगे। वैधता समाप्त होने की स्थिति में नया हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.12 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) का नवीनीकरण

3.12.1 वर्ष 2022-23 में स्वीकृत थोक अनुज्ञापनों के इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2023-24 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों एवं प्रतिबंधों से सहमति की दशा में अपने थोक अनुज्ञापनों का वर्ष 2023-24 हेतु नवीनीकरण गत वर्ष की भाँति अनुमन्य किया जाता है।

वर्तमान वर्ष 2022-23 में स्वीकृत थोक अनुज्ञापनों को निम्नांकित शर्तों के अधीन 2023-24 हेतु नवीनीकृत किया जाएगा:-

- (1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।
- (2) वर्ष 2022-23 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।
- (3) अनुज्ञापी के विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2022-23 में न पायी गयी हो।
- (4) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटैराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित समस्त देयतायें देने को तैयार है तथा उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चौहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उक्त थोक अनुज्ञापन के लिये आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है। वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31



मार्च, 2023 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2022-23 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2023-24 की नवीनीकरण फीस एवं लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2022-23 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।


गतवर्ष की भांति थोक अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु संबंधित उप आबकारी आयुक्त प्रभार तथा उसके अनुमोदन हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त संबंधित जोन को प्राधिकृत किया जाता है।

3.12.2 देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर के थोक अनुज्ञापनों एवं बाण्ड अनुज्ञापनों के नवीनीकरण की प्रक्रिया:-

(1) सर्वप्रथम आबकारी आयुक्त द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और वेबसाइट पर सक्षिप्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर प्रदेश में व्यवस्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, और बीयर के थोक अनुज्ञापनों एवं बाण्ड के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि उक्त अनुज्ञापनों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण आबकारी आयुक्त कार्यालय, एवं विभागीय पोर्टल से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(2) थोक अनुज्ञापनों अथवा बाण्ड अनुज्ञापनों के वर्ष 2022-23 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र जिसका प्रारूप संलग्नक-2 है एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड किया जायेगा तथा नवीनीकरण शुल्क की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 07 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को संबंधित अनुज्ञापन की वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा स्वीकृति की तिथि से 15 दिन तक जमा की जा सकेगी।

(3) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि समयांतर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2022-23 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2023-24 की नवीनीकरण फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।



3.12.3 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी) की प्रासेसिंग फीस

2023-24 हेतु थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी) हेतु आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस रुपया 1,50,000/-निर्धारित की जाती है।

3.12.4 थोक अनुज्ञापनों(सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की नवीनीकरण फीस

वर्ष 2023-24 हेतु थोक अनुज्ञापनों(सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की नवीनीकरण फीस रुपया 1,50,000/-निर्धारित की जाती है। थोक अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी।

3.12.5 थोक अनुज्ञापनों(सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की स्वीकृति

(क)वर्ष 2023-24 हेतु थोक अनुज्ञापनों की स्वीकृति संगत नियमावली के प्राविधानों के अनुसार अर्ह आवेदकों के पक्ष में की जायेगी।

(ख) एफ.एल.-2बी अनुज्ञापनों पर वाइन की बिक्री भी अनुमन्य की जाती है।

(ग) एफ.एल.-2 अनुज्ञापनों पर एल.ए.बी. की बिक्री भी अनुमन्य की जाती है।

गत वर्ष की भोंति आवेदक को वैध हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैल्युअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। थोक अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने अथवा वापस लिये जाने एवं इस संबंध में जमा की गयी धनराशियों की वापसी के अनुरोध मान्य नहीं होंगे।

3.12.6 थोक अनुज्ञापनों(सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की लाइसेंस फीस और प्रतिभूति

(क) थोक अनुज्ञापनों की वर्ष 2023-24 की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र.सं.	थोक अनुज्ञापन का प्रकार	जिला का नाम जहाँ स्वीकृत होगा।	वर्ष 2023-24 हेतु अनुज्ञापन शुल्क (रुपये में)
1	सी.एल.-2	चित्रकूट, बागपत, बलरामपुर, हाथरस, शामली, कौशांबी	10,00,000
2	सी.एल.-2	अमेठी, श्रावस्ती	15,00,000
3	सी.एल.-2	अन्य जिला	28,00,000
4	एफ.एल.-2	वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मथुरा	36,00,000

5	एफ.एल.-2	गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, बिजनौर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद।	28,00,000
6	एफ.एल.-2	उपरोक्त जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिला	20,00,000
7	एफ.एल.- 2बी	कौशांबी, श्रावस्ती, पीलीभीत, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, बहराइच, बलरामपुर, एटा, हाथरस, कन्नौज, औरैया, रामपुर, संभल, शाहजहाँपुर एवं शामली।	7,00,000
8	एफ.एल.- 2बी	सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, संतरविदासनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, संतकबीरनगर, अमेठी, हरदोई, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, बदायूँ, अमरोहा, बागपत, बांदा, जालौन, ललितपुर।	11,00,000
9	एफ.एल.- 2बी	उपरोक्त जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिला	16,00,000

प्रतिभूति धनराशि लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

(ख) मध्य सत्र में थोक अनुज्ञापनों की स्वीकृति के प्रकरणों में त्रैमासिक आधार पर लाइसेंस फीस ली जायेगी। जिस त्रैमास में अनुज्ञापन स्वीकृत किया जायेगा उस त्रैमास की भी फीस ली जायेगी।

3.12.7 सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ. एल.-2 बी अनुज्ञापनों से अन्य जिला की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीस:-

देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये अन्य जिला के सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ. एल.-2 बी अनुज्ञापनी से आपूर्ति के संबंध में वर्ष 2020-21 में की गयी व्यवस्था को वर्ष 2023-24 हेतु यथावत रखा जाता है।

3.13 ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन

3.13.1 (क) ब्रांड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन/नवीनीकरण के संबंध में वर्ष 2022-23 में लागू व्यवस्था को वर्ष 2023-24 में यथावत रखा जाता है परन्तु वर्ष 2023-24 में किसी ब्राण्ड के पंजीकरण(नवीनीकरण के मामलों को छोड़कर) हेतु ट्रेड मार्क पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि किसी मदिरा ब्राण्ड के लेबिल अनुमोदन पर आबकारी विभाग को यह प्रतीत होता है कि भविष्य में इसके संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है अथवा उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तब लेबिल अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(ग) यदि किसी आयातक इकाई द्वारा समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, एल.ए.बी. एवं वाइन के 200 नग एवं समुद्रपार आयातित बीयर के 500 नग(प्रत्येक धारिता को सम्मिलित करते हुये) तक ही बिक्री करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब ब्राण्ड पंजीकरण की फीस रूपया 10,000/- प्रतिब्राण्ड होगी। इससे अधिक की बिक्री होने पर ब्राण्ड पंजीकरण की फीस निम्नांकित तालिका के अनुसार ही ली जायेगी। यह सुविधा मात्र प्रथम बार पंजीकृत कराये जाने वाले ब्राण्डों के लिये ही अनुमन्य होगी।

3.13.2 ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन फीस

(1) वर्ष 2023-24 हेतु ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन फीस गतवर्ष के समान निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.		मदिरा का प्रकार	ब्राण्ड पंजीकरण फीस (रुपये में)	लेबुल अनुमोदन फीस (रुपये में)
1.		देशी मदिरा	1,00,000	1,00,000
2.		भारत निर्मित मदिरा		
	क	विदेशी मदिरा	1,25,000	1,25,000
	ख	बीयर	75,000	75,000
	ग	वाइन	10,000	10,000
	घ	एल.ए.बी.	10,000	10,000
3.		अन्य देशों से आयातित मदिरा		
	क	विदेशी मदिरा	1,50,000	लेबुल अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
	ख	बीयर	75,000	
	ग	वाइन	10,000	
	घ	एल.ए.बी.	10,000	
4.		अन्य देशों, प्रदेशों को निर्यातित मदिरा		
	क	विदेशी मदिरा	ब्राण्ड पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है	6,00,000
	ख	बीयर		6,00,000

	ग	वाइन		1,00,000
	घ	एल.ए.बी.		6,00,000

ब्राण्ड एवं लेबुल के नवीनीकरण हेतु भी उपरोक्तानुसार फीस ली जाएगी।

(2) वर्ष 2022-23 में पंजीकृत ब्राण्डों के नवीनीकरण एवं एम.आर.पी. के अनुमोदन माह जुलाई, 2023 तक ही सामान्यतः कराये जा सकेंगे। माह जुलाई के पश्चात नवीनीकरण कराये जाने की स्थिति में दो गुना नवीनीकरण फीस ली जायेगी। ऐसे ब्राण्ड जिनका नवीनीकरण माह जुलाई 2023 तक नहीं कराया गया होगा, उनका नये ब्राण्ड के रूप में पंजीकरण वर्ष 2023-24 में अनुमन्य नहीं होगा।

(3) भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और एल.ए.बी. के ब्राण्डों के वैरियेंट की एम.आर.पी. अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

3.14 विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का आरोपण

विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की व्यवस्था गतवर्ष की भाँति वर्ष 2023-24 में निम्नवत् रखी जाती है।

विदेशी मदिरा

क्र. सं.	विदेशी मदिरा की श्रेणी	बोतलों की धारिता (एम.एल. में)	प्रस्तावित विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	इकोनामी	180 एम.एल. तक	10/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	20/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	30/-
2	मीडियम	180 एम.एल. तक	10/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	20/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	30/-
3	रेगुलर	180 एम.एल. तक	20/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	30/-

		500 एम.एल. या उससे अधिक	50/-
4	प्रीमियम	180 एम.एल. तक	20/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	30/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	50/-
5	सुपर प्रीमियम	180 एम.एल. तक	30/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	50/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	100/-
6	स्काच	180 एम.एल. तक	50/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	100/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	150/-
7	समुद्रपार आयातित	200 एम.एल. तक	70/-
		200 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	140/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	200/-

बीयर

क्र. सं.	बीयर की श्रेणी	बोटलों/केनों की धारिता (एम.एल. में)	प्रस्तावित विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	स्ट्रांग/लैगर	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से अधिक	20/-
		10 लीटर केग	200/-
		20 लीटर केग	400/-
		20 लीटर से अधिक केग	600/-
2	समुद्र पार	500 एम.एल. तक	10/-

आयातित		
	500 एम.एल. से अधिक	20/-
	10 लीटर केग	200/-
	20 लीटर केग	400/-
	20 लीटर से अधिक केग	600/-

वाइन/एल.ए.बी.(भारत निर्मित एवं समुद्र पार आयातित)

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	बोतलों की धारिता (एम.एल. में)	प्रस्तावित विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वाइन	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से अधिक	20/-
2	एल.ए.बी.	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से अधिक	20/-

90 एम.एल. तक की धारिता हेतु विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की दरें

क्र. सं.	विदेशी मदिरा की श्रेणी	बोतलों की धारिता (एम.एल.में)	प्रस्तावित विशेष अतिरिक्त अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क(रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रेगुलर	90 एम.एल. तक	10/-
2	प्रीमियम	90 एम.एल. तक	10/-
3	सुपर प्रीमियम	90 एम.एल. तक	20/-
4	स्काच	90 एम.एल. तक	30/-
5	समुद्रपार आयातित	90 एम.एल. तक	40/-

आबकारी नीति के अनुसार विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. इत्यादि के निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य के अतिरिक्त उपरोक्त विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क आरोपित होगा तथा तदनुसार अंतिमीकृत अधिकतम फुटकर मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।

3.15 अन्य

3.15.1 (क) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों, मॉडल शॉप्स एवं प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स से बिक्री का समय:-

वर्ष 2022-23 के लिये देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप्स के खुलने/बिक्री का समय प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक है जिसे वर्ष 2023-24 में यथावत रखा जाता है। विशेष अवसरों पर शासन की पूर्वानुमति से बिक्री के समय में वृद्धि की जा सकेगी।

(ख) वर्ष 2023-24 हेतु एफ.एल.-16 अनुज्ञापनों का वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क रू.50,000/- तथा एफ.एल.-17 अनुज्ञापनों का वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क रू. 25,000/- निर्धारित किया जाता है। नवीनीकरण की स्थिति में भी उपरोक्त दर से अनुज्ञापन शुल्क जमा कराया जाएगा।

(ग) प्रदेश में विकृत सुरा अथवा विशेष विकृत सुरा की उपलब्धता न होने की स्थिति में ही इनके आयात की अनुमति आबकारी आयुक्त द्वारा दी जायेगी।

(घ) आसवनियों द्वारा सी हैवी शीरे /बी हैवी शीरे /केन जूस से उत्पादित अल्कोहल के भण्डारण हेतु प्रयोग में लाये जा रहे टैंकों के आपस में परिवर्तन की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु रू. 5,000/- प्रासेसिंग फीस ली जायेगी।

(ङ) एथेनाल बलेंडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आयल मिक्सिंग डिपोज को एथेनाल की आपूर्ति के लिये परमिट प्राप्त करने हेतु आनलाइन प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु रू. 2,000/- प्रासेसिंग फीस ली जायेगी।

(च) यू.पी.एम.एल. की आपूर्ति में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों में यू.पी.एम.एल. की भराई हेतु बाटलिंग लाइन/लाइनों के निर्धारण का अधिकार आबकारी आयुक्त को दिया जाता है।

(छ) प्रत्येक बोतल/ट्रेड पैक के लेबिल पर दायीं ओर शीर्ष पर 1 से.मी. x 1 से.मी. पर स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फांट में उसकी एम.आर.पी. अंकित की जायेगी।

(ज) ई-लाटरी पोर्टल पर मोबाइल नं., पैन करेक्शन इत्यादि हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस रूपया 1,000/- निर्धारित की जाती है। यह व्यवस्था आबकारी नीति वर्ष 2023-24 के प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगी।

(झ) बोटल में भरी भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर के देश के बाहर निर्यात की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस रूपया 2,000/- निर्धारित की जाती है।

(ञ) बल्क स्पिरिट के आयात की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस रूपया 5,000/- निर्धारित की जाती है।

(ट) वैयक्तिक होम लाइसेंस के स्थानांतरण हेतु सुसंगत अभिलेखों सहित प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर आवश्यक जांचोपरांत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हेतु प्रार्थना पत्र अपर आबकारी आयुक्त(लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास) के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे जिनके द्वारा आवश्यक जांच कराते हुये और संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों की संस्तुति के आलोक में यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

(ठ) इच्छुक फुटकर और थोक अनुज्ञापी द्वारा स्वयं की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अनुज्ञापन के संबंध में एक नामिनेशन शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि वरीयता क्रम में अपने वारिसों/ परिवार के सदस्यों /निकट संबंधियों का नाम, अधार नम्बर, संबंध आदि का उल्लेख किया जा सकता है। मृत्यु के प्रकरणों में सर्वप्रथम नामिनेशन शपथ पत्र के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त नामिनेशन नोटेराइज्ड शपथ पत्र पर लाइसेंस प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।


(ड) यदि उ.प्र. में एम.आर.पी. अनुमोदित कराये जाने के बाद किसी निकटवर्ती राज्य में कम ई.डी.पी./ ई.बी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.सी.बी.वी. प्रस्तुत किये जाने का प्रकरण प्रकाश में आता है तब संबंधित ब्राण्ड का अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ढ) यदि किसी नये ब्राण्ड-लेबिल के अनुमोदन की तिथि से एम.आर.पी. अनुमोदन हेतु 03 माह तक ई.डी.पी./ ई.बी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.सी.बी.वी. प्रस्तुत नहीं की जाती है तब ब्राण्ड-लेबिल का अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा परन्तु उक्त प्राविधान में शिथिलता प्रदान करने का आबकारी आयुक्त को अधिकार होगा।

(ण) डीनेचुरेशन फीस की दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में पचास पैसा प्रति लीटर निर्धारित की जाती है।

(त) भुगतान वापसी के प्रकरणों में कोषवाणी की वेबसाइट की में प्रदर्शित सूचना के आधार पर चालानों का विभाग द्वारा किया गया सत्यापन पर्याप्त माना जायेगा। संबंधित कोषागार से चालानों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराये जाने की प्रक्रियागत अनिवार्यता नहीं होगी।

(थ) अगले वर्ष के नवीनीकरण हेतु धनराशियों को जमा करने के पश्चात यदि किसी लाइसेंसी की मृत्यु हो जाती है और उसके किसी विधिक वारिस द्वारा अनुज्ञापन के संचालन हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाता है अथवा किसी वारिस को इस हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता



हैं तब नवीनीकरण हेतु जमा धनराशियों (प्रासेसिंग फीस को छोड़कर) विधिक वारिस को वापस कर दिया जायेगा।

(द) डी.एस.-1 अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस ₹.50,000/- निर्धारित की जाती है। प्रतिभूति धनराशि 10 प्रतिशत होगी। लाइसेंस फीस कोषागार शीर्षक 0039 में निर्धारित उपशीर्षक के अंतर्गत जमा की जायेगी।

(ध) आयल मिक्सिंग डिपो के मामलों में ली जाने वाली लाइसेंस फीस ₹.0.15/- प्रति लीटर के स्थान पर ₹.0.30 प्रति लीटर निर्धारित की जाती है।

(न) ग्रेन आधारित आसवनी/प्लांट की एथनाल एवं ई.एन.ए. उत्पादन के अनुपात का विनिश्चय ग्रेन आसवनी हेतु गठित समिति के स्थान पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग के स्तर से किया जायेगा।

(प) प्रदेश में स्थापित आसवनियों/यवासवनियों/द्राक्षासवनियों की प्रतिभूति केवल सावधि जमा रसीद के रूप में जमा की जायेगी।

(फ) मदिरा/भाग की फुटकर दुकानों की वर्ष 2022-23 की चौहद्दी परिवर्तन किये बिना यदि उनके नाम परिवर्तन की आवश्यकता पायी जाती है तब इस स्थिति में जिला कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दुकान के नाम को परिवर्तित किया जा सकेगा।

(ब) प्रदेश में मदिरा की आपूर्ति में कठिनाई के दृष्टिगत, यथावश्यकता आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश एवं देश के बाहर निर्यात की अनुमति के प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया जा सकेगा।

(भ) यवासवनी की स्थापना हेतु स्वीकृत किये जाने वाले लाइसेंस बी-20 की वैधता दो वर्ष हेतु प्रदत्त है। यदि उक्त अवधि में यवासवनी स्थापित नहीं की जाती है और उक्त लाइसेंस की वैधता बढ़ाये जाने का प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तब प्रत्येक वर्ष के लिये लाइसेंस फीस रूपया एक लाख पच्चीस हजार ली जायेगी।


(म) आसवनी की स्थापना हेतु स्वीकृत किये जाने वाले लाइसेंस पी.डी.-33 की वैधता एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष होगी। यदि उक्त अवधि में आसवनी स्थापित नहीं की जाती है और उक्त लाइसेंस की वैधता बढ़ाये जाने का प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तब प्रत्येक वर्ष के लिये लाइसेंस फीस रूपया दो लाख पचास हजार ली जायेगी।

(य) फुटकर एवं थोक अनुज्ञापनों पर विक्रेताओं के अनुमोदन हेतु रूपया 500/- जमा करने पर नौकरनामा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(र) फुटकर दुकानों एवं बार अनुज्ञापनों में मदिरा बिक्री की समयावधि, विशेष अवसरों पर, एक विनिश्चित अवधि तक, परिवर्तित करने का अधिकार, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग को दिया जाता है।

3.15.2 अवशेष स्टॉक का निस्तारण:-

वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर जिलों के विभिन्न अनुज्ञापनों पर दिनांक 31.03.2023 को बिक्री अवधि के पश्चात अवशेष स्टॉक की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार



और पैकेजिंगवार घोषणा अनुज्ञापी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी/संबंधित प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त के समक्ष दिनांक 01.04.2023 को दोपहर 12:00 बजे तक रु.100/- के नॉनजुडीशियल नोटराइज्ड स्टाम्प पेपर पर की जायेगी तथा इस अवशेष स्टाक की सूचना जिला आबकारी अधिकारी/संबंधित प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक आयुक्तालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार घोषित अवशेष स्टाक का निस्तारण शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। घोषित अवशेष स्टाक का भौतिक सत्यापन करने पर घोषित स्टाक से 1 प्रतिशत से अधिक का विचलन (जिसकी अधिकतम सीमा 1 पेट्टी होगी) पाये जाने पर एवं अवशेष स्टाक के निस्तारण में कोई अनियमितता पाये जाने की स्थिति में लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मदिरा के अवशेष स्टाक का स्टाक रजिस्टर पृथक से बनाया जायेगा जिसका निरीक्षण/अनुश्रवण उसके द्वारा प्रस्तुत इण्डेण्ट और अनुज्ञापी द्वारा किये गये उपभोग के आंकड़ों का मिलान आबकारी निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त अवशेष स्टाक को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2023 को अनुज्ञापनों की संचालन अवधि के प्रश्नात इन पर उपलब्ध अवशेष मदिरा के स्टाक के निस्तारण के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया लागू होगी:-

3.15.2.1 देशी मदिरा:-

1. देशी मदिरा की नवीनीकृत फुटकर दुकानों पर दिनांक 01.04.2023 को उपलब्ध अवशेष देशी मदिरा स्टाक को दिनांक 05.04.2023 तक बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है तत्पश्चात अवशेष स्टाक को जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा। ऐसे अवशेष स्टाक को माह अप्रैल, 2023 के एम.जी.क्यू. में समायोजित नहीं किया जायेगा।
2. वर्ष 2022-23 में व्यवस्थित देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों सी.एल.-2 पर उपलब्ध क्यू.आर.कोड युक्त अवशेष स्टाक को वर्ष 2023-24 हेतु व्यवस्थित जिला के किसी थोक अनुज्ञापन पर सुरक्षित रखते हुये इसकी नीलामी वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति के अनुसार की जायेगी।
3. देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों में उपलब्ध देशी मदिरा के ऐसे अवशेष स्टाक जिस पर बार कोड एवं क्यू.आर. कोड लगे हैं तथा वर्ष 2022-23 का निर्धारित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क एवं अन्य देय शुल्क आदि जमा नहीं हुआ है की री-बाटलिंग सहित वर्ष 2023-24 के इस हेतु निर्गत क्यू.आर. कोड भी चस्पा करते हुये वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क तथा अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क एवं अन्य देय शुल्क के योग की धनराशि जमा कराकर इसकी बिक्री अनुमन्य होगी।

3.15.2.2 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी.:-



1. विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर दुकानों, मॉडल शॉप्स, प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स, बार, क्लब एवं समस्त थोक और बाण्ड अनुज्ञापनों जिनका वर्ष 2023-24 हेतु नवीनीकरण नहीं हुआ है, पर उपलब्ध अवशेष स्टॉक उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

2. उक्त के अतिरिक्त 2023-24 हेतु नवीनीकृत विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों, प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स एवं मॉडल शॉप, थोक अनुज्ञापनों एवं बाण्ड अनुज्ञापनों सहित बार/क्लब अनुज्ञापनों पर उपलब्ध अवशेष स्टॉक के निस्तारण के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जाती है:-

(1) वर्ष 2022-23 की समाप्ति के पश्चात् अवशेष जिन ब्राण्डों का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2023-24 हेतु होगा उन ब्राण्डों पर यदि वर्ष 2023-24 में कुल प्रतिफल फीस, एम.आर.पी. में कमी होती है तो उक्त स्टॉक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय दिनांक 31.03.2024 तक किया जायेगा।

(2) जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2023-24 हेतु करा लिया जाता है, उन ब्राण्डों पर यदि कुल प्रतिफल फीस, एम.आर.पी. में वृद्धि होती है तो कुल प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा करायी जायेगी तथा उक्त स्टॉक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय दिनांक 31.03.2024 तक किया जायेगा।


(3) जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2023-24 हेतु नहीं कराया जाता है, उन ब्राण्डों की प्रतिफल फीस, एम.आर.पी. उनकी वर्ष 2022-23 के लिये घोषित ई.डी.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.वी. पर वर्ष 2023-24 के नये सूत्र के अनुसार निर्धारित की जायेगी तथा अवशेष स्टॉक (थोक अनुज्ञापनों एवं बाण्ड अनुज्ञापनों को छोड़कर) का निस्तारण दिनांक 31.03.2024 तक निम्नवत् किया जायेगा:-

(i) नये सूत्र के अनुसार प्रतिफल फीस, का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. की धनराशि में कमी होती है तो उक्त स्टॉक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(ii) नये सूत्र के अनुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. दोनों में वृद्धि होती है तो कुल प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा कराकर उक्त स्टॉक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(iii) नये सूत्र के अनुसार कुल प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस में कमी होती है, किन्तु एम.आर.पी. में वृद्धि होती है, तब वर्ष 2022-23 की एम.आर.पी. पर ही बिक्री की जायेगी।

(iv) नये सूत्र के अनुसार कुल प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस में वृद्धि होती है, किन्तु एम.आर.पी. में वृद्धि नहीं होती है, तब कुल



प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा कराकर तथा अंतर की धनराशि के समतुल्य एम.आर.पी. में वृद्धि करके उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी. का स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(4) कुल प्रतिफल शुल्क के आगणन हेतु प्रतिफल शुल्क, अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क एवं विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सम्मिलित किया जायेगा।

3.15.3 विदेशी मदिरा/बीयर उत्पादक आसवनियों/यवासवनियों के एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए, एफ.एल.-3 एवं एफ.एल.-3ए अनुज्ञापनों तथा एफ.एल.-2ए, एफ.एल.-2, एफ.एल. 2बी, बी.आई.ओ.-1, एफ.एल.-9 एवं एफ.एल.-9ए अनुज्ञापनों पर भी उपरोक्त प्राविधान लागू होंगे।

3.15.4 वर्ष 2023-24 तक लगातार नवीनीकृत थोक अनुज्ञापनों पर उपलब्ध विदेशी मदिरा का ऐसा स्टाक जिस पर क्यू.आर.कोड चस्पा हो और जिसका रोल ओवर वर्ष 2022-23 में नहीं कराया जा सका, को वर्ष 2023-24 की एम.आर.पी. का 5 प्रतिशत रोल ओवर शुल्क जमा करने पर और नये सूत्र के अनुसार कुल प्रतिफल फीस का अंतर जमा करने पर वर्ष 2023-24 की एम.आर.पी. पर विक्रय की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। उक्त स्टाक की थोक अनुज्ञापनों से बिक्री दिनांक 31.03.2024 तक ही अनुमन्य होगी।

3.15.5 अवशेष स्टाक के निस्तारण के संबंध में उपरिवर्णित स्थितियों के अतिरिक्त उत्पन्न अन्य प्रकरणों में निर्णय हेतु आबकारी आयुक्त को प्राधिकृत किया जाता है।


3.15.6 दिनांक 31.03.2024 के पश्चात उपलब्ध अवशेष स्टाक जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

3.16 ईज आफ इडंग बिज़नेस:-

(1) बाण्ड अनुज्ञापनों, यवासवनियों एवं आसवनियों, द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाइन का अग्रिम भण्डारण किया जाना:-

(क) 2023-24 के प्रारम्भिक माहों में विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाइन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अग्रिम भण्डारण की सुविधा, गत वर्ष की भाँति, अनुमन्य की जाती है। बाण्ड अनुज्ञापनों एवं आसवनियों/यवासवनियों पर वर्ष 2023-24 हेतु विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाइन के अग्रिम भण्डारण की अनुमति आबकारी नीति की घोषणा की तिथि से प्रदान की जाएगी।

(ख) प्रदेश की आसवनियों/यवासवनियों/बाण्ड अनुज्ञापनों/ एफ.एल.-1/1ए को आबकारी नीति की घोषणा की तिथि से दिनांक 31.07.2023 तक की अवधि हेतु मदिरा/बीयर आदि के अग्रिम भण्डारण हेतु यथावश्यकता अतिरिक्त अस्थाई गोदाम परिसर रूपया 1,00,000/- के भुगतान पर आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।



(ग) अनुज्ञापियों के संबंध में प्राप्त पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में उनके विरुद्ध दर्ज मुकदमों का उल्लेख होने की स्थिति में कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापन के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

(घ) रूपया 3,000/- से अधिक एम.आर.पी.(प्रति बोतल) वाले भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्कॉच एवं सिंगल माल्ट ब्राण्डों की प्रदेश में बिक्री को प्रोत्साहित करने हेतु बी.डब्ल्यू.एफ.एल.-2एए लाइसेंस भी प्रदान किये जायेंगे। यह लाइसेंस ऐसे व्यक्तियों/फर्मों/कम्पनियों को दिये जायेंगे जिनके पास संबंधित उत्पादकों के प्राधिकार पत्र होंगे। बी.डब्ल्यू.एफ.एल.-2एए लाइसेंस की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति बी.डब्ल्यू.एफ.एल.-2ए के बराबर होगी। प्रतिबंध यह होगा कि उक्त अनुज्ञापन में सभी वैरियेंट्स सहित अधिकतम कुल 05 ब्राण्डों की बिक्री ही अनुमन्य होगी।

(2) फुटकर दुकानों में परस्पर मासिक एम.जी.क्यू. अथवा निर्धारित मासिक राजस्व का अंतरण:-

उक्त के संबंध में वर्ष 2022-23 में की गयी व्यवस्था को वर्ष 2023-24 में यथावत् रखा जाता है।


(3) वर्ष 2021-22 में समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा एवं भारत निर्मित स्काच श्रेणी की विदेशी मदिरा की ऐसी बोतलों जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य रु.2,000/- अथवा अधिक हो, के मोनोकार्टन को ही एक सील्ड पेटी अवधारित करते हुये बोतल एवं सील्ड पेटियों हेतु निर्धारित सुरक्षा कोड चस्पा किये जाने के उपरान्त बिक्री अनुमन्य की गयी है। उक्त व्यवस्था को वर्ष 2023-24 में यथावत् रखा जाता है।

(4) मदिरा के परिवहन पासों का ऑनलाइन सत्यापन मदिरा प्राप्ति साक्ष्य के रूप में पर्याप्त माना जाएगा। पासों का मैनुअल पद्धति से सत्यापन एवं वापसी की व्यवस्था समाप्त किया जाता है।

(5) वर्तमान में प्रदेश में अवस्थित समस्त उत्पादन इकाइयों पर मदिरा/अल्कोहल की तीव्रता की माप पुरानी प्रचलन विधि हाइड्रोमीटर द्वारा की जा रही है। मदिरा/अल्कोहल की तीव्रता की माप में नवीन तकनीक का उपयोग किया जाना समय की मांग है। उपरोक्त के दृष्टिगत विभाग की प्रयोगशालाओं में तथा आसवनियों में एन.ए.बी.एल. द्वारा प्रमाणित/मानकीकृत डिजिटल अल्कोहल मीटर का प्रयोग अनिवार्य किया जाता है।

(6) बाण्ड अनुज्ञापनों/आसवनियों/यवासवनियों से एक वाहन के माध्यम से किसी एक जिले के एक से अधिक थोक अनुज्ञापनों को एक श्रेणी की मदिरा के पारेषण अनुमन्य किये जायेंगे। मदिरा के पारेषणों से संबंधित वाहनों का अधिकतम पे-लोड परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिकतम पे-लोड के अनुसार होगा।

(7) बाण्ड अनुज्ञापनों/आसवनियों/यवासवनियों/चीनी मिलों आदि हेतु विहित पंजिकाओं में भरी जाने वाली सूचनायें विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध हैं जिनको पुनः विभागीय पंजिकाओं



में मैनुअली भरे जाने में संसाधन एवं समय का अपव्यय होता है अतः विहित पंजिकाओं को आनलाइन भरे जाने की व्यवस्था की जाती है।

(8) वर्ष 2023-24 की आपूर्ति हेतु उत्पादन प्रारम्भ किये जाने एवं पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत वर्ष 2022-23 हेतु आपूर्ति से संबंधित इण्डेण्टों को लगाने की कट-आफ तिथि एवं वर्ष 2023-24 का उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि आबकारी आयुक्त द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

3.17 ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली:-

(1) सम्प्रति उत्पादन से लेकर फुटकर दुकानों तक मदिरा की आपूर्ति ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत की जा रही है, परन्तु फुटकर दुकानों से बिक्री को पी.ओ.एस. मशीन से स्कैन कराकर बिक्री कराये जाने तथा विभाग की समस्त प्रक्रियाओं को कम्प्यूटराइज्ड कर इन्टीग्रेटेड एक्साइज सप्लाइ चैन मैनेजमेंट सिस्टम (IESCMS) के लिये सेवा प्रदाता का चयन किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की समस्त फुटकर दुकानों तथा समस्त मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकानों की जियो फेंसिंग कराया जाना तथा मदिरा की प्रत्येक फुटकर दुकान पर पी.ओ.एस.(प्वाइंट आफ सेल) मशीनों, जिनके द्वारा विक्रीत मदिरा की बोतल के क्यू.आर. कोड को स्कैन करके सूचना अपलोड की जा सकेगी, के माध्यम से ही बिक्री किये जाने की व्यवस्था लागू की जाती है।

3.18 नशे के दुष्प्रभावों एवं रिस्पांसिबिल ड्रिंकिंग के संबंध में प्रचार प्रसार हेतु बजट का प्राविधान

नशे के दुष्प्रभावों एवं संयमित मदिरा सेवन (Responsible Drinking) के संबंध में आमजन को जानकारी दिये जाने एवं जागरूकता लाये जाने हेतु विशेष प्रचार अभियान संचालित किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से (1) Under Age Drinking (2) Drunken Driving (3) Responsible Consumption पर केन्द्रित किया जाएगा।

इस हेतु प्रभावी अभियान चलाये जाने एवं विभिन्न IEC गतिविधियों हेतु 1 करोड़ रुपये का प्राविधान किया जाता है।

3.19 विभाग का सुदृढीकरण:-

उल्लेखनीय है कि राज्य आबकारी द्वारा संग्रहीत किये गये राजस्व पर किये गये व्यय का प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त औसत से अत्यधिक कम है। यह व्यय प्रतिशत प्रदेश के अन्य राजस्व प्राप्तकर्ता विभागों की तुलना में भी कम है। वर्ष 2021-22 में यह व्यय 1 प्रतिशत से भी कम था तथा 2022-23 में भी 1 प्रतिशत से कम रहने की संभावनायें हैं। अतः राजस्व वर्धन हेतु विभाग को और अधिक संसाधन सुदृढ बनाए जाने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाएगी:-

(i) विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराया जायेगा।

(ii) मदिरा की समस्त फुटकर दुकानों पर सी.सी.टी.वी. लगाया जायेगा। सी.सी.टी.वी. बंद पाये जाने पर जुर्माने का प्राविधान किया जायेगा।

(iii) विभाग की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में यथोचित तकनीकी योग्यता रखने वाले विश्लेषकों की यथावश्यकता राज्य सरकार की अनुमति से संविदा पर नियुक्ति की जायेगी।

(iv) विभाग की प्रयोगशालाओं, आसवनियों एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में एन.ए.बी.एल. द्वारा प्रमाणित/मानकीकृत डिजिटल अल्कोहल मीटर का प्रयोग अनिवार्य किया जायेगा।

(v) आसवनियों में देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा बाटलिंग प्लांटों में मास फलो मीटर, राडार आधारित लेवल ट्रांसमीटर एवं बाटल काउण्टर पूर्व में निर्धारित मानक के अनुसार लगाये जाने हेतु समय सीमा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी।

3.20 वर्ष 2023-24 के लिये अनुमानित राजस्व:-

क्र.सं.	मद	वर्ष 2022-23 की आबकारी नीति में अंकित अनुमानित राजस्व (करोड़ रु.में)	वर्ष 2022-23 में अनुमानित राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु.में)	वर्ष 2023-24 में संभावित राजस्व वृद्धि (करोड़ रु.में)	वर्ष 2023-24 में कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु. में) (कालम 4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	देशी मदिरा- प्रतिफल फीस, बेसिक लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियाँ	19140	19600	2400	22000
2.	विदेशी मदिरा- प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियाँ	11786	12300	1350	13650
3.	बीयर- प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियाँ	4316	5000	550	5550
4.	अन्य मद- शीरे पर विनियामक शुल्क, आसवनी, ब्रिवरी की लाइसेंस फीस, आयात- निर्यात फीस, फार्मेसियों से प्राप्तियाँ एवं भांग की बिडमनी इत्यादि	4758	3500	300	3800
	योग	40,000	40400	4600	45000

3.21 वर्ष के मध्य में आबकारी नीति में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में:-

आबकारी नीति की मा. मंत्रिपरिषद से स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्वयन किये जाने पर यदाकदा कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इन कठिनाइयों के समाधान एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की व्यवस्था के लिए गत वर्ष की भांति वर्ष 2023-24 हेतु निम्न व्यवस्था की जाती है:-


"आबकारी नीति की मा. मंत्रिपरिषद से स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्वयन व राजस्व प्राप्ति में यदाकदा आने वाली कठिनाइयों के समाधान निवारण एवं प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु आबकारी नीति में सामयिक, व्यावहारिक, विधिक दृष्टि से किसी परिवर्तन हेतु आबकारी आयुक्त से प्राप्त, संस्तुत प्रकरणों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर संस्तुति करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग एवं प्रमुख सचिव, न्याय विभाग सदस्य तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग समिति के सदस्य, संयोजक हैं, को अधिकृत करने तथा समिति की संस्तुति पर मा. आबकारी मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

3.22 आबकारी नीति के क्रियान्वयन में संभावित जोखिम व आवश्यकतायें:-

(1) इस बात की आशंका रहती है कि कतिपय दुकानें (लगभग 5-10 प्रतिशत) निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा अथवा लाइसेंस फीस पर व्यवस्थित न हो पायें। ऐसी दुकानों के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा अथवा लाइसेंस फीस में युक्ति-युक्त पूर्वक कमी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। नये अनुज्ञापियों को दुकान आवंटित होने की स्थिति में पिछले कई वर्षों से दुकानों को संचालित करने वाले अनुज्ञापियों द्वारा दुकानों के परिसर खाली करने में कठिनाइयां उत्पन्न की जा सकती हैं। अतः नवचयनित अनुज्ञापियों को इस संबंध में प्रशासन स्तर से सहयोग प्रदान किया जाएगा।

(2) राजस्व लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये तस्करी एवं अभिकर की चोरी रोकने के लिये योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया जाना आवश्यक होगा तथा इस संबंध में पुलिस विभाग का सक्रिय सहयोग एवं विभाग का सुदृढीकरण अपेक्षित होगा।"


4. कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित राजस्व की प्राप्ति की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत कार्ययोजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सर्वसम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। उपरोक्तानुसार क्रियान्वयन



सुनिश्चित करने हेतु जिन नियमों, अधिसूचनाओं आदि में संशोधन, परिवर्तन, अपमार्जन की कार्यवाही अथवा नये नियम, नियमावतियों तथा अधिसूचनाओं का प्रख्यापन, विखण्डन (समाप्त) किया जाना हो, उनका यथा प्रक्रिया समायन्तर्गत प्रख्यापन कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायें। यदि किन्हीं नियमों, अधिसूचनाओं आदि का संशोधन, परिवर्तन, अपमार्जन शासन स्तर से किया जाना हो, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर (हिन्दी व अंग्रेजी) में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रतर कार्यवाही समय से की जा सके। साथ ही उक्तानुसार वांछित संशोधनों का प्रख्यापन समय से सुनिश्चित कराये जाने कृपया अपने स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र गहन समीक्षा भी कर लें ताकि भविष्य में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न न होने पाये।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,


(संजय आर. भुसारेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/माडल शाप/ की फुटकर दुकानों के वर्ष 2023-24 के लिए नवीनीकरण हेतु

शपथ-पत्र का प्रारूप

(रूपये 10 /- के नानजुडीशियल नोटेराइज्ड स्टैम्प पेपर पर दिया जायेगा)

- 1- यह कि शपथकर्ता----- पुत्र/पुत्री/पत्नी -----
----- नियासी ----- दुकान-देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/
माडल शाप/ -----, शाप आई0डी0 ----- जनपद-----
----- का वर्ष 2022-23 हेतु अनुज्ञापी है।
- 2- उक्त दुकान के लिये शपथकर्ता आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है।
- 3- यह कि शपथकर्ता अपनी उपरोक्त दुकान का वर्ष 2023-24 हेतु नवीनीकरण कराना चाहता है तथा अपनी उक्त दुकान को वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर संचालित करेगा/नवीन प्रस्तावित चौहद्दी निर्धारित अवस्थिति में है।
- 4- यह कि शपथकर्ता ने वैध हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर से निर्गत धारित सम्पति प्रमाण-पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी है।
- 5- यह कि शपथकर्ता की उपरोक्त दुकान की अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयतायें बेबाक हैं।
- 6- यह कि शपथकर्ता की उपरोक्त दुकान की वर्ष 2022-23 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित है।
- 7- यह कि शपथकर्ता वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2023 तक संचालित संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गंभीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो।
- 8- यह कि शपथकर्ता शासन द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों के अनुसार माह मार्च 2023 तक की अवधि हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0/कुल राजस्व के समतुल्य निकासी लेगा।
- 9- यह कि शपथकर्ता अवगत है कि माह मार्च 2023 तक की अवधि हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0/कुल राजस्व के समतुल्य निकासी न लेने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2022-23 की प्रतिभूति धनराशि का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2023-24 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2022-23 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की वह प्रतिपूर्ति करेगा।
- 10- यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 एवं संबंधित नियमों एवं आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2023-24 को भली भँति समझ लिया है। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा। वह वर्ष 2022-23 की शेष अवधि में तथा वर्ष 2023-24 में फुटकर दुकान के व्यवस्थापन की संगत नियमावली का पालन करेगा और नियामवली के किसी प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने पर उसका अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये।
- 11- यह कि शपथकर्ता ने वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस/एम0जी0क्यू0/बे0ला0फी0/ लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि/त्रैमासिक कुल प्रतिफल शुल्क आदि की जानकारी प्राप्त कर ली है तथा वह उपरोक्त के संबंध में शासन द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करेगा।
- 12- यह कि शपथकर्ता ने अपने बैंक खाते का त्रुटिरहित विवरण पोर्टल पर भर दिया है और भविष्य में उसे होने वाले समस्त भुगतान, यदि कोई हों, को उक्त बैंक खाते में ही प्राप्त करने पर सहमत है।

उपरोक्त क्रमांक-1 से 12 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं।

हस्ताक्षर शपथकर्ता-----

संलग्नक - 2

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के थोक अनुज्ञापन - सी.एल.-2/एफ.एल.-2/एफ.एल.-2बी के वर्ष 2023-24 के लिए नवीनीकरण हेतु शपथ-पत्र का प्रारूप

(रूपये 10 /- के नानजुडीशियल नोटेट्राइज्ड स्टैम्प पेपर पर दिया जायेगा)

- 1- यह कि शपथकर्ता----- पुत्र/पुत्री/पत्नी -----
----- निवासी ----- थोक अनुज्ञापन- सी0एल0-2/एफ0एल0-2/एफ0एल0-2बी -----, अनुज्ञापन संख्या ----- जनपद-----
----- का वर्ष 2022-23 हेतु अनुज्ञापनी है।
- 2- उक्त थोक अनुज्ञापन के लिये शपथकर्ता आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है।
- 3- यह कि शपथकर्ता अपने उपरोक्त अनुज्ञापन का वर्ष 2023-24 हेतु नवीनीकरण कराना चाहता है तथा अपने उक्त अनुज्ञापन को वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर संचालित करेगा।
- 4- यह कि शपथकर्ता ने वैध हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर से निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी है।
- 5- यह कि शपथकर्ता के उपरोक्त अनुज्ञापन की अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयतायें बेबाक हैं।
- 6- यह कि शपथकर्ता के उपरोक्त अनुज्ञापन की वर्ष 2022-23 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित है।
- 7- यह कि शपथकर्ता के उपरोक्त अनुज्ञापन के विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2022-23 में नहीं पायी गयी है।
- 8- यह कि शपथकर्ता अवगत है कि अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा इस शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2022-23 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2023-24 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। उपरोक्तानुसार जब्त की गयी प्रतिभूति की वह प्रतिपूर्ति करेगा।
- 9- यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 एवं संबंधित नियमों एवं आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2023-24 को भली भाँति समझ लिया है जिसका वह पालन करेगा। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा।
- 10- यह कि शपथकर्ता ने वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस/लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि की जानकारी प्राप्त कर ली है तथा वह उपरोक्त के संबंध में शासन द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करेगा।
- 11- यह कि शपथकर्ता ने अपने बैंक खाते का त्रुटि रहित विवरण पोर्टल पर भर दिया है और भविष्य में उसे होने वाले समस्त भुगतान, यदि कोई हों, को उक्त बैंक खाते में ही प्राप्त करने पर सहमत है।
उपरोक्त क्रमांक-1 से 11 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं।

हस्ताक्षर शपथकर्ता -----